

03 यमलोक के द्वार पर बहने वाली 'दैतरीणी नदी' का रहस्य

06 संकट में फंसे पक्षी: जब बढ़ता शोर आकाश को चुरा लेता है

08 एक्सएनएक्स कास्टेबल की भर्ती में भ्रष्टाचार! RTI से चौकाने वाली जानकारी...

राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि राज्य मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को कुछ सालों तक बार-बार सालाना एक्सटेंशन दिया गया, वे वैध उम्मीद के सिद्धांत के तहत रेगुलराइजेशन की मांग करने के हकदार हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, "हम प्रतिवादी-राज्य की इस दलील को मानने के लिए खुद को मना नहीं कर पा रहे हैं कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाला नाम उन्हें संवैधानिक सुरक्षा से वंचित करता है। राज्य ने चयन की सही प्रक्रिया के बाद एक दशक से अधिक समय तक स्वीकृत पदों पर अपीलकर्ताओं की सेवाओं का लाभ उठाया है और लगातार उनके संतोषजनक प्रदर्शन को स्वीकार किया। इसलिए वह ठोस कारणों या स्पष्ट फैसले के अभाव में औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजिंग का सहारा लेकर अचानक ऐसी नियुक्ति को खत्म नहीं कर सकता। ऐसा कदम साफ तौर पर मनमाना है, एक मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में काम करने के राज्य के दायित्व के विपरीत है, और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जांच में खरा नहीं उतरता है।"

कोर्ट ने उन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की अपील स्वीकार की, जिनका कार्यकाल दस साल के लिए बढ़ाया गया और "राज्यों द्वारा कर्मचारियों को 'पार्ट-टाइम', 'कॉन्ट्रैक्ट' या 'अस्थायी' जैसे नाममात्र के लेबल के तहत स्थायी रूप से नियुक्त करने और इस तरह उनकी स्थिति को रेगुलर न करके उनका शोषण करने की प्रथा की निंदा की।"

यह मानते हुए कि अपीलकर्ताओं को एक दशक से अधिक समय तक स्वीकृत खाली पदों पर बिना किसी ठोस कारण के जारी रखा गया, कोर्ट ने झारखंड राज्य को तुरंत उनकी सेवाओं को रेगुलर करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं को फैसले की तारीख से परिणामी सेवा लाभ का



हकदार माना गया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ताओं को 2012 में राज्य के भूमि संरक्षण निदेशालय में 22 स्वीकृत पदों के मुकाबले जूनियर इंजीनियर (कृषि) के रूप में सार्वजनिक विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया। हालांकि नियुक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट वाली कहा गया और शुरू में एक साल के लिए किया गया, इंजीनियरों को दस साल से अधिक समय तक बार-बार एक्सटेंशन दिया गया और उनका प्रदर्शन लगातार संतोषजनक पाया गया।

अपीलकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों में उन्हें "अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट वाला" बताया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से रेगुलराइजेशन के किसी भी दायित्व से इनकार किया गया। इस लेबल के बावजूद, उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक सभी नियमित कर्तव्यों का पालन किया और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर समय-समय पर एक्सटेंशन प्राप्त किया। 2023 में राज्य ने मौजूदा एक्सटेंशन को आखिरी घोषित कर दिया और उनकी सेवा खत्म कर दी। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी चुनौती को यह फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

विवादित फैसला रद्द करते हुए जस्टिस मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में राज्य की आलोचना की गई कि उसने दस साल तक कर्मचारियों को मेहनत का फायदा उठाया और फिर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर उन्हें हटा दिया।

कोर्ट ने कहा,

"राज्य को अपने कर्मचारियों का

शोषण करने या उनकी कमजोरी, लाचारी या असमान मोलभाव की स्थिति का फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"जहां कर्मचारियों ने काफी समय तक कॉन्ट्रैक्ट पदों पर अपनी ड्यूटी निभाई, जैसा कि इस मामले में है, यह स्वाभाविक है कि एक वैध उम्मीद पैदा होती है कि राज्य किसी-न-किसी स्तर पर उनकी लंबी और लगातार सेवा को पहचानेगा। इसी विश्वास के कारण, जिसे एजीक्यूटिव द्वारा दिए गए बार-बार के एक्सटेंशन से बल मिला, ऐसे कर्मचारी सेवा में बने रहते हैं और अपने काम के कॉन्ट्रैक्ट नेचर के बावजूद वैकल्पिक रोजगार की तलाश नहीं करते हैं।"

कोर्ट ने दोहराया कि स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी, (2006) 4 SCC 1 में तय किया गया अनुपात उन लोगों पर लागू नहीं होता, जिनकी नियुक्तियां अस्थायी, कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट वाली होती हैं, यह रकेवल उन अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट वाले या कैजुअल कर्मचारियों पर लागू होता है, जिनकी नियुक्ति मौजूदा नियमों के अनुसार उचित चयन प्रक्रिया के बिना हुई। नतीजतन, जहां ऐसी नियुक्ति उचित और कानूनी चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद की जाती है, वहां कानून में ऐसा कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है जो ऐसे कर्मचारियों को वैध अपेक्षा के सिद्धांत का हवाला देने से रोके।

नियमित कर्मचारियों को रोकने वाली कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर राज्य की निर्भरता खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तों को स्वीकार करना मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं माना

जाएगा। इसने इस बात पर जोर देने के लिए पिछले फैसलों का हवाला दिया कि असमान मोलभाव की शक्ति वाली स्थितियों में थोपे गए अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज मनमाना राज्य कार्रवाई को संवैधानिक जांच से नहीं बचा सकते।

निष्कर्ष

इस चर्चा के आलोक में कोर्ट ने अपने निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेप में बताया:

I. प्रतिवादी-राज्य ने अपीलकर्ताओं को एक दशक से अधिक समय तक स्वीकृत खाली पदों पर कॉन्ट्रैक्ट वाली नियुक्ति के नाम पर जारी रखा और उसके बाद उन्हें नियमितकरण के लिए विचार करने से इनकार करना उचित नहीं था।

II. केवल कॉन्ट्रैक्ट के नाम के आधार पर बिना कोई ठोस कारण बताए या कोई आदेश पारित किए, इतनी लंबी सेवा को अचानक बंद करना स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

III. नियमितकरण के दावों को रोकने वाली कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें संवैधानिक गारंटियों को ओवरराइड नहीं कर सकतीं। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को स्वीकार करना मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मनमाना राज्य कार्रवाई को संवैधानिक जांच से प्रतिरक्षित नहीं कर सकतीं।

IV. एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य लंबे समय तक तथ्यवाद को सही ठहराने या निष्पक्षता, गरिमा और संवैधानिक शासन के अनुरूप तरीके से लंबे समय से सेवा कर रहे कर्मचारियों को हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लेबल या उमादेवी (उपरोक्त) के यांत्रिक अनुप्रयोग पर भरोसा नहीं कर सकता है।

V. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए हम प्रतिवादी-राज्य को निर्देश देते हैं कि वह सभी अपीलकर्ताओं की सेवाओं को उन स्वीकृत पदों पर तुरंत नियमित करे जिन पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया। अपीलकर्ता इस फैसले की तारीख से मिलने वाले सभी परिणामी सेवा लाभों के हकदार होंगे।

Cause Title: BHOLA NATH VERSUS THE STATE OF JHARKHAND & ORS. (with connected matters)

परिवहन विशेष जनहित विशेष कॉलम

अब लाखों लोगों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स, नए नियमों से मिडिल क्लास को बड़ी राहत



संजय कुमार बाठला

इनकम टैक्स रूलस 2026 को लेकर सरकार ने जो नए बदलाव किए हैं, वे देश के करोड़ों करदाताओं के लिए राहत की सांस जैसे हैं। बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और सीमित आमदनी के बीच टैक्स का दबाव लंबे समय से लोगों की सबसे बड़ी चिंता रहा है। ऐसे में नए इनकम टैक्स नियमों का मकसद साफ है—कर प्रणाली को आसान बनाना, मध्यम वर्ग को राहत देना और ईमानदार टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहित करना। नए नियमों के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग या तो पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकते हैं या फिर उन्हें पहले की तुलना में काफी कम टैक्स देना पड़ेगा।

टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव है इस बार

इनकम टैक्स रूलस 2026 के तहत सबसे अहम बदलाव टैक्स स्लैब और छूट सीमा को लेकर किया गया है। सरकार ने यह माना कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है, जबकि आम आदमी की आय में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में टैक्स का बोझ कम करना जरूरी हो गया था।

नए नियमों में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को बढ़ाया गया है, यानी अब एक निश्चित आय सीमा तक कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसी भी सौभाग्यवर्ती को सौधा फायदा मिलेगा। यह बदलाव केवल कागजी नहीं है, बल्कि इसका असर लोगों की मासिक बचत और खर्च करने की क्षमता पर भी साफ दिखेगा।

मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत

नए इनकम टैक्स नियमों का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। जो लोग पहले थोड़ी-सी ज्यादा आय के कारण टैक्स के दायरे में आ जाते थे, वे अब कई मामलों में टैक्स फ्री हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से उनकी टैक्सबल इनकम अपने आप कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि उन्हें हर साल कुछ हजार या कुछ सौ हजार का भी सौधा फायदा मिलेगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत

नए इनकम टैक्स नियमों का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। जो लोग पहले थोड़ी-सी ज्यादा आय के कारण टैक्स के दायरे में आ जाते थे, वे अब कई मामलों में टैक्स फ्री हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से उनकी टैक्सबल इनकम अपने आप कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि उन्हें हर साल कुछ हजार या कुछ सौ हजार का भी सौधा फायदा मिलेगा।

नए इनकम टैक्स नियमों का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। जो लोग पहले थोड़ी-सी ज्यादा आय के कारण टैक्स के दायरे में आ जाते थे, वे अब कई मामलों में टैक्स फ्री हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से उनकी टैक्सबल इनकम अपने आप कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि उन्हें हर साल कुछ हजार या कुछ सौ हजार का भी सौधा फायदा मिलेगा।

भविष्य की योजनाओं में इस्तेमाल कर सकेंगे।

छोटे करदाताओं को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा—इनकम टैक्स रूलस 2026 को इस तरह से तैयार किया गया है कि छोटे और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं को अधिकतम लाभ मिल सके। जिन लोगों की चिंता रहा है। ऐसे में नए इनकम टैक्स नियमों का मकसद साफ है—कर प्रणाली को आसान बनाना, मध्यम वर्ग को राहत देना और ईमानदार टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहित करना। नए नियमों के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग या तो पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकते हैं या फिर उन्हें पहले की तुलना में काफी कम टैक्स देना पड़ेगा।

टैक्स प्लानिंग की भूमिका क्यों है अहम

भले ही नए नियमों से टैक्स का बोझ कम हुआ हो, लेकिन सही टैक्स प्लानिंग आज भी उतनी ही जरूरी है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि किन-किन तरीकों से वे कानूनी रूप से टैक्स बचा सकते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा एग्जेंप्शन लोन पर ब्याज, होम लोन के ब्याज और कुछ विशेष निवेश विकल्पों पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। अगर आप इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बिना किसी नियम तोड़े अपनी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सही टैक्स प्लानिंग न केवल पैसे बचाती है, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाती है।

समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी इनकम टैक्स रूलस 2026 के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है—इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना बेहद जरूरी है। कई लोग यह सोचकर रिटर्न फाइल नहीं करते कि उनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, लेकिन यह सोच आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है।

अगर आप तय समय सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको मामलों में लाखों रुपये तक की अतिरिक्त बचत हो सकती है। यह पैसा लौटने और परिवार की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई या

फाइल करना काफी आसान हो गया है। कुछ ही स्टेप्स में घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अगर तकनीकी जानकारी की कमी हो, तो किसी टैक्स एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेना बेहतर रहता है।

सही जानकारी होना क्यों है जरूरी नए टैक्स नियमों का पूरा फायदा उठाने के लिए सही और भरोसेमंद जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया या अनऑफिशियल स्रोतों से मिली अधूरी जानकारी लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। इसलिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। इनकम टैक्स से जुड़े सभी अपडेट और गाइडलाइन्स ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी स्थिति के अनुसार सही निर्णय ले सकते हैं। याद रखें, टैक्स चोरी अपराध है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर टैक्स बचाना आपका अधिकार है।

छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए राहत इनकम टैक्स रूलस 2026 सिर्फ नौकरीपेशा लोगों तक सीमित नहीं है। छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए भी सरकार ने कई राहत प्रभावित किए हैं।

सरलिकृत टैक्स व्यवस्था के तहत आने वाले छोटे व्यापारियों को अब पहले की तुलना में कम जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे कारोबार बिना ज्यादा टैक्स दबाव के आगे बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की सांकेतिक भी मजबूती देता है।

निष्कर्ष इनकम टैक्स रूलस 2026 आम जनता के लिए एक सकारात्मक और राहत भरा कदम साबित हो सकते हैं। बढ़ी हुई छूट सीमा, आसान टैक्स स्लैब और सरलिकृत नियमों से लाखों लोगों की टैक्स देनदारी कम होगी। हालांकि, इन नियमों का पूरा लाभ तभी मिल पाएगा जब करदाता सही जानकारी रखें, समय पर रिटर्न फाइल करें और समझदारी से टैक्स प्लानिंग करें। सरकार की यह पहल न केवल लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी।

कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी; यूनियन बजट 2026 में मरीजों को बड़ी राहत - डॉ यादव

परिवहन विशेष न्यूज, राउरकेला

जीवन-घातक और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूनियन बजट 2026 में आवश्यक दवाओं की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की गई है, जिसमें कैंसर और डायबिटीज की दवाएं भी शामिल हैं। संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाना है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने कहा कि इस बजट से कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाएं सस्ती होंगी, साथ ही कैंसर और डायबिटीज सहित सात गंभीर बीमारियों से संबंधित दवाओं की कीमतों में भी कमी आएगी। इस कदम से मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होने की उम्मीद है, खासकर



उन लोगों पर जो लंबे समय तक इलाज पर निर्भर हैं।

सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री पर कस्टम ड्यूटी तथा टैक्स में तर्कसंगत बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को

मजबूत करेगा और सभी के लिए किफायती इलाज के विज्ञान को समर्थन देगा।

दवाओं के अलावा, बजट में उपभोक्ताओं को भी राहत मिलती है। मोबाइल फोन, माइक्रोवेव ओवन और कपड़े जैसे कई रोजमर्रा के और घरेलू सामान सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि इनके कलपूर्वों और कच्चे माल पर ड्यूटी कम की गई है।

हालांकि, बजट में कुछ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी भी संकेतित है। शराब और खनिज-आधारित उत्पादों पर बढ़ी हुई ड्यूटी और संशोधित कर नियमों के कारण ये महंगे हो सकते हैं। कुलमिलाकर, यूनियन बजट 2026 ने सार्वजनिक कल्याण और राजस्व संतुलन के बीच संतुलन बनाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत जरूरी राहत देते हुए गैर-आवश्यक और खनिज-आधारित वस्तुओं पर करों में समायोजन किया गया है।

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

<https://tolwa.com/about.html> | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com



पिकी कुलु

आज का साइबर सुरक्षा विचार

—हिरासत: कुल 2,044 विदेशी नागरिक पकड़े गए, जिनमें शामिल हैं:—
- 1,792 चीनी
- 179 म्यांमार नागरिक
- 177 वियतनामी
- 36 भारतीय
- अन्य: नेपाल, ताइवान, लाओस, मलेशिया, मैक्सिको से।

—कंबोडियाई पुलिस का संदेश: *साइबर अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं*, कंबोडिया धोखाधड़ी सिंडिकेट्स को बर्बाद नहीं करेगा।

—"प्रोफेशनल बिजनेस" के रूप में स्कैम कम्पाउंड डे थोखाधड़ी केंद्र कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह काम करते हैं और करोड़ों की अवैध कमाई करते हैं:—
—संरचित कार्यबल: पीड़ितों को झूठे नौकरी प्रस्तावों से फुसलाकर या तस्करी कर लाया जाता है और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है।
—तकनीक और ढांचा: कॉल सेंटर, नकली वेबसाइटें और क्रिप्टो वॉलेट्स से लैस होकर धन शोधन किया जाता है।
—वैश्विक लक्ष्य: धोखाधड़ियाँ, निवेश कंपनियों या

रोमांटिक पार्टनर का रूप धारण कर दुनिया भर के लोगों को निशाना बनाते हैं। यह दिखाता है कि भारतीय नागरिक दोनों भूमिकाओं में हैं—पीड़ित (नौकरी के लिए तस्करी) और सहभागी (धोखाधड़ी में भर्ती)।

*भारत का संबंध—36 भारतीय हिरासत में: यह दिखाता है कि भारतीय नागरिक दोनों भूमिकाओं में हैं—पीड़ित (नौकरी के लिए तस्करी) और सहभागी (धोखाधड़ी में भर्ती)।

—भारत—कंबोडिया सहयोग: भारतीय अधिकारी पहचान सत्यापित करने, पीड़ितों को वापस लाने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए कंबोडियाई पुलिस के साथ काम करेंगे।
*जॉखिम और सबक—नागरिकों के लिए: विदेशों में ऑनलाइन नौकरी प्रस्तावों की जांच करें, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया में, कई प्रस्ताव धोखाधड़ी कम्पाउंड के मुखौटे होते हैं।
—कानून प्रवर्तन के लिए: यह छापेमारी दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और

खुफिया जानकारी साझा करना आवश्यक है।
—नीति निर्माताओं के लिए: साइबर धोखाधड़ी अब छोटा अपराध नहीं है—यह करोड़ों का औद्योगिक अपराध तंत्र है, जिसके लिए ठोस नीतिगत कदम जरूरी हैं।

निष्कर्ष बावटे की छापेमारी यह सख्त याद दिलाती है कि साइबर धोखाधड़ी अब एक पेशेवर, अरबों डॉलर का उद्योग बन चुकी है, जो कॉर्पोरेट संरचनाओं की नकल करके चलती है। कंबोडिया की कार्रवाई एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन ऐसे केन्द्रों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि वैश्विक सतर्कता, मजबूत साइबर कानून और नागरिक जागरूकता की तत्काल आवश्यकता है ताकि धोखाधड़ियाँ डिजिटल विश्वास का दुरुपयोग न कर सकें।

कंबोडिया के बावटे शहर में हुए बड़े पैमाने पर छापे ने यह उजागर किया है कि साइबर धोखाधड़ी अब एक अत्यधिक संगठित, लाभ-उन्मुख उद्योग में बदल चुकी है—जो पेशेवर ढंग से काम करके करोड़ों की कमाई कर रही है और वैश्विक पीड़ितों का शोषण कर रही है। इस कार्रवाई में 2,000 से अधिक विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 36 भारतीय भी शामिल हैं। यह इन संदिग्ध व्यवसायों के पैमाने और परिष्कार को सामने लाता है।
छापेमारी: पैमाना और प्रभाव—तिथि और स्थान: 31 जनवरी 2026, बावटे सिटी, स्वायंरियांग प्रांत, कंबोडिया।
—ऑपरेशन का आकार: 700 पुलिस अधिकारियों ने वान चेंग (A7) कैसिनो परिसर की 22 आपस में जुड़ी इमारतों पर छापा मारा।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

चार मगज' एक आयुर्वेदिक संज्ञा है जिसका अर्थ है — चार प्रकार के बीजों का मिश्रण

पिकी कुट्टू

ये बीज हैं

1. तरबूज के बीज (Watermelon Seeds)
2. कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds)
3. ककड़ी के बीज (Cucumber Seeds)
4. खरबूजे के बीज (Musk Melon Seeds)

इन सभी बीजों का गुदा (Magaz) मिलाकर चार मगज का नाम रखा जाता है और फिर इन्हें पीसकर या साबुत इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इन्हें गरिष्ठक, हृद्य, तीक्ष्णक तंत्र, और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण चार मगज को आयुर्वेद में "बुद्धि वर्धक", "हृद्य", "मैत्री वर्धक" और "रसायन" श्रेणी में रखा गया है। यह शरीर के तीनों दोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित करता है और विशेषकर धातुओं की पुष्टि में सहायक है।

गुणधर्म (Properties)

- * रस - मधुर
- * गुण - लिप्यध, गुरु
- * वैषी - शीतल
- * विपाक - मधुर
- * दोष प्रभाव - वात-पित्त शामक

चार मगज के जबरदस्त फायदे (Benefits of

Char Magaz)

1. दिमाग और याददाश्त के लिए श्रुत चार मगज गरिष्ठक की कार्यक्षमता को बढ़ाता है।
 - * उपयोग:- 1 घम्मच चार मगज पाउडर + शर्द या दूध सुबह लें।
 - * लाभ:- याददाश्त तेज होती है, पित्त शरीर तनाव घटते हैं।
2. शारीरिक दुर्बलता में बलवर्धक टॉनिक:- यह शरीर में ऊर्जा व मांसपेशियों की मजबूती देता है।
 - * उपयोग:- चार मगज, बादाम, खजूर और मिश्री को मिलाकर पाउडर बनाएं और रोए लें।
 - 3. हृद्य स्वास्थ्य में सहायक:- बीजों में मौजूद फैटी एसिड्स हृदय को मजबूत रखते हैं।
 - * उपयोग:- चार मगज का दूध या गाढ़ा शरबत गर्मी में पिएं।
 - 4. पावन सुधारक और भ्रूष बढ़ाने वाला
 - * उपयोग:- गोजन से पहले थोड़ा चार मगज चूर्ण + सौंफ लें।
 - * लाभ:- पावन ठीक होता है, गैस व अपच से राहत मिलती है।
 - 5. प्रजनन क्षमता और वैषी वर्धन:- पुरुषों के लिए यह एक उत्कृष्ट टॉनिक है।
 - * उपयोग:- चार मगज, कोंच बीज और श्रवणगंधा मिलाकर दूध में उबालकर लें।

6. त्वचा और बालों के लिए पोषक:- चार मगज में मौजूद जिंक, विटामिन E और प्रोटीन त्वचा को नमी और बालों को मजबूती देते हैं।

* उपयोग:- फेस पैक में मिलाकर या तेल में डालकर इस्तेमाल करें।

7. नींद या आने की समस्या में फायदेमंद

* उपयोग:- चार मगज पाउडर + गर्म दूध सोने से पहले लें।

* लाभ:- तीव्रता तंत्र को शांत करता है, नींद में सुधार होता है।

घरेलू नुस्खे (Home Remedies with Char Magaz)

1. बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए:- चार मगज + बादाम + मिश्री मिलाकर रस सुबह 1 घम्मच दें।

2. गर्मी में शीतता और ताजगी के लिए:- चार मगज का शरबत बनाकर दोपहर में पिएं — शरीर ठंडा और ऊर्जावान रहेगा।

3. पुरुषों की कमजोरी में:- चार मगज + शुद्ध शिलाजीत + दूध के साथ लें — वैषी की मात्रा व गुणवत्ता सुधरती है।

4. त्वचा की नमी के लिए:- चार मगज का पेस्ट + दूध + हल्दी मिलाकर फेस पैक की तरह लगाएं।

5. स्मरणशक्ति के लिए:- 1 घम्मच चार मगज पाउडर +



ब्रास्सी अर्क के साथ लें। पोषक तत्व (Nutritional Value) * प्रोटीन * रेसोटीन (Omega 3, 6)



* जिंक * कैल्शियम * प्रायन * जिंजिबिन E और B-कॉम्प्लेक्स

यह सारे तत्व गरिष्ठक, हृद्य, त्वचा, और यौन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं।

कब और कैसे लें? (Best Time & Way to Use) समय मात्रा विधि

* सुबह खाली पेट 1 घम्मच दूध/शर्द के साथ

* रात को सोने से पहले 1 घम्मच गुनगुने दूध के साथ

* गर्मी में दोपहर 1 गिलास चार मगज का शरबत

सावधानियाँ (Precautions)

* अधिक मात्रा में सेवन से अपच या गैस बन सकता है।

* डायबिटिक मरीज शर्द या मिश्री के बिना लें।

* श्लेश्मा, बिना नमक वाले बीजों का उपयोग करें।

* बीजों को अच्छी तरह सुखाकर ही स्टोर करें।

आयुर्वेद करता है

"मगजं वृद्धिं बल्यं, स्मृतिवर्धनवृत्तमम्। शीतलं हृद्यशर्कं, वातपित्तविनाशनम्।"

अर्थ: चार मगज बलवर्धक, स्मरणशक्ति बढ़ाने वाला, शीतल, हृद्य को ताजगी देने वाला और वात-पित्त नाशक है।

निष्कर्ष:- चार मगज कोई साधारण बीजों का मिश्रण नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण आयुर्वेदिक टॉनिक है — जो बुद्धि, बल, सौंदर्य और प्रजनन सभी क्षेत्रों में वनकरारी

लाभ देता है।

* यदि आप नावसिक धकावट, कमजोरी या त्वचा-बात की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो चार मगज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

* अगर आप भी सर्तों से सब तरह की वैषी अलग अलग डॉक्टर का इलाज करा कर निराश हो चुके हो फीस भरते भरते थक चुके हो और समय के साथ बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ रही हो और आपकी दुर्वाई बंद ही नहीं हो रही हो और छोटी छोटी समस्या ला इलाज से चुकी हो। इसका संयोग से एक छोटा सा योग भी बना सकते हैं जो बहुत ही फायदेमंद है।

* चारों मगज 100 - 100 ग्राम

* छोटी इलायची 30 ग्राम

* खरबूस 30 ग्राम

* खानदाना 50 ग्राम

* अलसी 80 ग्राम

* घुसरा बीज रीत 50 ग्राम

सभी को बारीक पीसकर देसी घी में मूज लेना है उसके पश्चात एलोवेरा का मीठा जेल लेकर चरब उड़ किलो स्वाद अनुसार देसी खंड मिलाकर मंद अग्नि पर हल्के की तरह बनाकर किसी कांच के पात्र में सुरक्षित रख लें।

यह हलवा 6 महीने तक खराब नहीं होता है।

अजवाइन: छोटे दाने, बड़े फायदे

पिछले अंक से आगे....

अजवाइन को भूनकर बारीक पीसकर शरीर पर मलने से अधिक पसीना आकर बुखार में बहुत लाभ मिलता है।

10 ग्राम अजवाइन रात को 100 मिलीलीटर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर पानी को छानकर पीने से बुखार मिटता जाता है।

5 ग्राम अजवाइन को 50 मिलीलीटर पानी में उबालकर, छानकर 25-25 ग्राम पानी 2 घण्टे के अंतराल से पीने पर बुखार और घबराहट भी कम होती है।

इम्लुएन्जा : 10 ग्राम अजवाइन को 200 मिलीलीटर गुनगुने पानी में पकाकर या फांट तैयार कर प्रत्येक 2 घंटे के बाद 25-25 मिलीलीटर पिलाने से रोगी की बैचेनी शीघ्र दूर हो जाती है। 124 घंटे में ही लाभ होता है।

अजवाइन, दालचीनी की 2-2 ग्राम मात्रा को 50 मिलीलीटर पानी में उबालें। इसके बाद इसे टंडाकर-छानकर सुबह और शाम पीने से लाभ होता है।

12 ग्राम अजवाइन 2 कप पानी में उबालें, जब पानी आधा बच जायें तब टंडा करके छान लें और रोजाना 4 बार पीने से लाभ होता है।

चोट लगने से उत्पन्न सूजन : किसी भी प्रकार की चोट पर 50 ग्राम गम अजवाइन को दोहरे कपड़े की पोतली में डालकर सेंक करके से आराम आ जाता है। जरूरत हो तो जखम पर कपड़ा डाल दें ताकि जले नहीं। किसी भी प्रकार की चोट पर अजवाइन का सेंक बहुत ही लाभकारी होती है।

मलेरिया बुखार : मलेरिया बुखार के बाद हल्का-हल्का बुखार रहने लगता है। इसके लिए 10 ग्राम अजवाइन को रात में 100 मिलीलीटर पानी में भिगो दें और सुबह पानी गुनगुना कर जरा सा नमक डालकर कुछ दिन तक सेवन करें।

बच्चों के पैरों में कांटा चुभने पर : कांटा चुभने के स्थान पर पिचले हुए गुड़ में पिसी हुई अजवाइन 10 ग्राम मिलाकर थोड़ा गम क कर बांध देने से कांटा अपने आप निकल जायेगा।

पित्ती उछलना : 50 ग्राम अजवाइन को 50 ग्राम गुड़ के साथ अच्छी प्रकार कूटकर 5-6 ग्राम का गोली बना लें। 1-1 गोली सुबह-शाम ताजे पानी के साथ लेने से 1 सप्ताह में ही तमाम शरीर पर फैली हुई पित्ती दूर हो जायेगी।

फ्लू (जुकाम-बुखार) : 3 ग्राम अजवाइन और 3 ग्राम दालचीनी दोनों को उबालकर इनका पानी पिलायें।

12 ग्राम अजवाइन 2 कप पानी में उबालें, आधा रहने पर टंडा करके छानकर पीयें। इसी प्रकार रोज 4 बार पीने से फ्लू शीघ्र ठीक हो जाता है।

जुकाम : अजवाइन की बीड़ी या सिगारेट बनाकर पीने से जुकाम में लाभ होता है। अजवाइन को पीसकर एक पोतली बना लें, उसे दिन में कई बार सूंघें, इससे बंद नाक खुल जायेगी।

एक चम्मच अजवाइन और इसका चौगुना गुड़ एक गिलास पानी में डालकर उबालें। आधा पानी रहने पर छान लें तथा गर्म-गर्म पीकर ओढ़ कर सो जायें। जुकाम में लाभ होगा।

आमवात : अजवाइन का रस जोड़ों पर मालिश करने से दर्द दूर हो जाता है। शक्तिवर्धक चूर्ण : अजवाइन, इलायची, कालीमिर्च और सौंठ समान मात्रा में पी लें। आधा चम्मच सुबह, शाम पानी के साथ फेंकी लें।

हृदय (दिल) शूल : हृदय के दर्द में अजवाइन देने से दर्द बंद होकर हृदय उत्तेजित होता है। फोड़े, फुन्सी की सूजन : अजवाइन को

नींबू के रस में पीसकर फोड़े और फुन्सी की सूजन में लेप करने से लाभ मिलता है।

सभी प्रकार का दांत दर्द : हर प्रकार का दांत दर्द अजवाइन के प्रयोग से ठीक होता है। आम पर अजवाइन डालकर दर्द करते हुए दांतों पर धूनी दें। उबलते हुए पानी में नमक और एक चम्मच पिसी हुई अजवाइन डाल कर रख दें। पानी जब गुनगुना रहें तो इस पानी को मुंह में लेकर कुछ देर रोके, फिर कुल्ला करके थूक दें। इस प्रकार कुल्ले करें। अजवाइन की धुआं और कुल्ले करने के बीच 2 घण्टे का अंतर रखें। इस प्रकार दिन में तीन बार करने से दांत दर्द ठीक हो जाता है। गले में दर्द हो तो इसी प्रकार के पानी से गरारे करने लाभ होता है।

हृदय रोग : यदि दिल की कमजोरी के कारण छाती में दर्द होता हो, तो 1 चम्मच अजवाइन को पानी में उबालकर उस पानी कप पानी बचा रहने पर काढ़े को छानकर रात के समय सेवन करें। अजवाइन काढ़ा रोजाना 40 दिन तक सेवन करें और ऊपर से आंवले का मुरब्बा खाएं। यह हृदय रोग को दूर करने में लाभकारी है।

3 ग्राम अजवाइन का चूर्ण पानी के साथ सेवन कराने पर हृदय शूल (दिल का दर्द) शांत होता है।

हिस्टीरिया : लगभग आधा ग्राम खुरासानी अजवाइन और लगभग 48 ग्राम बच को पीसकर अनार के रस के साथ खाने से हिस्टीरिया रोग दूर हो जाता है। दाद के रोग में : दाद होने पर गर्म पानी के साथ अजवाइन को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। अजवाइन को पानी में उबालकर उस पानी से दाद को धोने से भी लाभ होता है।

दाद को नाखून से खुजली कर फिर जंगली अजवाइन को पीसकर दाद पर लेप करने से दाद के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं और दाद ठीक हो जाते हैं। अजवाइन को जलाकर उसमें थोड़ा सा नीलाथोथा और घी को मिलाकर लगाने से बीछी-दाद समाप्त हो जाता है।

मानसिक उन्माद (पागलपन) : आधा चम्मच अजवाइन को 4 मुजक्का के साथ पीसकर आधा कप पानी में घोलकर रोजाना 2 बार देने से और इसको लम्बे समय तक पिलाने से पागलपन या उन्माद दूर हो जाता है।

विसर्प (फुंसियों का दल बनना) : अजवाइन को पानी में उबाल लें और इस पानी से फुंसियों को धोयें। अजवाइन को गर्म पानी के साथ पीसकर फुंसियों पर लेप करने से फुंसियां ठीक हो जाती हैं।

बच्चों के यकृत दोष : मद्य (शराब) के साथ खुरासानी अजवाइन को पीसकर (जिगर) की जगह पर ऊपर से लेप करने से दर्द और सूजन मिट जाती है।

अजवाइन को पानी में पीसकर कालानमक डालकर रखें। एक चम्मच बच्चों को देने से यकृत (लीवर) के अनेक रोग सही हो जाते हैं।

बालातिसार और रक्तातिसार : अजवाइन का 1 चम्मच रस रोजाना दो बार देने से काफी लाभ होता है।

आग से जल जाने पर : आग से जल जाने पर जंगली अजवाइन के रस को घी में मिलाकर लगाने से लाभ होता है।

नाड़ी का छूटना : अजवाइन का चूर्ण बनाकर हाथ व पैरों पर मलने से लाभ होता है। शरीर से पसीना का आना कम हो जाता है।

नाड़ी का दर्द : लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग खुरासानी अजवाइन को पीसकर सुबह-शाम लेने से नाड़ी दर्द में आराम मिलता है।

टांसिल का बढ़ना : 1 चम्मच अजवाइन

को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लें। फिर इस पानी को टंडा करके उससे कुल्ला और गरारे करने से आराम आता है।

गण्डमाला (स्कोफुला) : 2 शुद्ध भिलावा (मैला), 2 अजवाइन और 1 भाग पारद को पीसकर चने के बराबर की गोलियां बना लें। 1 गोली रोजाना दही के साथ सुबह और शाम रोगी को देने से लाभ होता है। गण्डमाला (गले की गांठों) में आराम आता है।

गर्दन में दर्द : अजवाइन को पोतली में बांधकर तवे पर गर्म कर लें। फिर इस पोतली से गर्दन की सिकाई करें।

बंद आवाज खोलना : चने की दाल के बराबर अजवाइन का चूर्ण लेकर पान में रखकर चबाएं और उसका रस निगल लें।

गले के रोग में : तिनारा के डोड़े और अजवाइन को पानी में उबालकर उस पानी से गरारे करने से बैठा हुआ गला साफ हो जाता है।

10 ग्राम अजवाइन को लगभग 200 मिलीलीटर पानी में उबालकर और फिर छानकर पानी को थोड़ा टंडा होने पर दिन में 2 से 3 बार गरारे करें।

गले का बैठ जाना : अजवाइन और शक्कर को पानी में उबालकर रोजाना दो बार पीने से बैठा हुआ गला खुल जाता है।

मालकांगनी, बच, अजवाइन, खुरासानी कुलजन और पीपल को बराबर मात्रा में लेकर इसमें शहद मिलाकर रोजाना 3 ग्राम चटाने से गले में आराम आता है।

मासिक-धर्म खत्म होने के बाद 10 ग्राम अजवाइन पानी से 3-4 दिनों तक सेवन करने से गर्भ की स्थापना में लाभ मिलता है।

आन्वृद्धि : अजवाइन का रस 20 बूंद और पोदीने का रस 20 बूंद पानी में मिलाकर पीने से आन्वृद्धि में लाभ होता है

शवास या दमा रोग : खुरासानी अजवाइन लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग सुबह-शाम सेवन करने से शवास नलिकाओं का सिकुड़ना बंद हो जाता है और शवास लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती है।

अजवाइन का रस आधा कप इसमें सुबह-शाम सेवन करने से शवास नलिकाओं का सिकुड़ना बंद हो जाता है और शवास लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती है।

अजवाइन का रस आधा कप इसमें इतना ही पानी मिलाकर दोनों समय (सुबह और शाम) भोजन के बाद लेने से दमा का रोग नष्ट हो जाता है।

दमा होने पर अजवाइन की गर्म पुष्टिश से रोगी के सीने को सेंकना चाहिए।

50 ग्राम अजवाइन तथा मोटी सौंफ 50 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तथा इसमें स्वादानुसार कालानमक मिलाकर नींबू के रस में भिगोकर आपस में चम्मच से मिलते हैं। फिर छाया में सुखाकर इसे तवे पर सेंक लेते हैं जब घी बीड़ी, सिगारेट या चादों खाने की इच्छा हो तो इस चूर्ण की आधा चम्मच लें। अजवाइन 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में पीकर, शवास (दमा) और खांसी दूर हो जाती है।

वात-पित्त का बुखार : अजवाइन 6 ग्राम, छोटी पीपल 6 ग्राम, अडूसा 6 ग्राम और पोस्त का डोडा 6 ग्राम लेकर काढ़ा बना लें, इस काढ़े को पीने से कफ का बुखार, शवास (दमा) और खांसी दूर हो जाती है।

जुकाम के साथ-साथ हल्का बुखार : देशी अजवाइन 5 ग्राम, सतगिलोए 1 ग्राम को रात में 150 मिलीलीटर पानी में भिगोकर, सुबह मसल-छान लें। फिर इसमें नमक मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से लाभ मिलता है।

फेफड़ों की सूजन : लगभग आधा ग्राम से लगभग 1 ग्राम खुरासानी अजवाइन का चूर्ण शहद के साथ सुबह-शाम सेवन करने से फेफड़ों के दर्द व सूजन में लाभ मिलता

है। काली खांसी (हूपिंग कफ) : जंगली अजवाइन का रस, सिरका और शहद तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच मिलता है।

अंजनहारी, गुहरी : अजवाइन का रस पानी में घोलकर उस पानी से गुहरी को धोने से गुहरी जल्दी ठीक हो जाती है।

बालों को हटाना : खुरासानी अजवाइन और अफीम आधा-आधा ग्राम लेकर सिरके में घोल लें। इसे बालों में लगाने से बाल उड़ जाते हैं।

खट्टी डकारें आना : अजवाइन, सेंधानमक, सेंचर नमक, यवाक्षार, हींग और सूखे आंवले का चूर्ण आदि को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1 पानी की मात्रा में सुबह और शाम शहद के साथ चटाने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाती है।

आंखों की दुष्टि के लिए : आंखों की रोशनी तेज करने के लिए जंगली अजवाइन की चटनी बनाकर खाना चाहिए।

कब्ज : अजवाइन 10 ग्राम, त्रिफला 10 ग्राम और सेंधानमक 10 ग्राम को बराबर मात्रा में लेकर कूटकर चूर्ण बना लें। रोजाना बार पीने से बैठा हुआ गला खुल जाता है।

गम पानी के साथ सेवन करने से काफी पुरानी कब्ज समाप्त हो जाती है।

5 ग्राम अजवाइन, 10 कालीमिर्च और 2 ग्राम पीपल को रात में पानी में डाल दें। सुबह उठकर शहद में मिलाकर 250 मिलीलीटर पानी के साथ पीने से वायु गोले का दर्द ठीक होता है।

अजवाइन 20 ग्राम, सेंधानमक 10 ग्राम, कालानमक 10 ग्राम आदि को पुदीना के लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग रस में कूट लें फिर छानकर 5-5 ग्राम सुबह और शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ लें।

लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग अजवाइन के बारीक चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ पीने से कब्ज समाप्त होती जाती है।

अजवाइन और कालानमक को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को पानी के साथ पीने से पेट के दर्द में आराम देता है।

मसूड़ों का रोग : अजवाइन को भून व पीसकर मंजन बना लें। इससे मंजन करने रोग नष्ट हो जाता है।

वायु विकार : 5 ग्राम पिसी हुई अजवाइन को 20 ग्राम गुड़ में मिलाकर छाछ (मूँड़े) के साथ लेने से लाभ होता है।

एक चम्मच अजवाइन और थोड़ा कालानमक एक साथ पीसकर इसमें छाछ मिलाकर पीने से पेट की गैस की शिकायत दूर होती है।

अधिक भूख के (अतिवृद्धा भस्मक) रोग में : 20-20 ग्राम अजवाइन और सौंठ, 5 ग्राम नौसादर एक साथ पीस-छानकर नींबू के रस में मटर की तरह गोली बनाकर छाया में सूखा पेट की गैस (वायु) नष्ट होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है तथा भूख भी बढ़ जाती है। पेट की गैस, वायु निकालने के लिए यह बहुत ही सफल नुस्का (विधि, तरीका) है।

वात-पित्त का बुखार : अजवाइन 6 ग्राम, छोटी पीपल 6 ग्राम, अडूसा 6 ग्राम और पोस्त का डोडा 6 ग्राम लेकर काढ़ा बना लें, इस काढ़े को पीने से कफ का बुखार, शवास (दमा) और खांसी दूर हो जाती है।

जुकाम के साथ-साथ हल्का बुखार : देशी अजवाइन 5 ग्राम, सतगिलोए 1 ग्राम को रात में 150 मिलीलीटर पानी में भिगोकर, सुबह मसल-छान लें। फिर इसमें नमक मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से लाभ मिलता है।

फेफड़ों की सूजन : लगभग आधा ग्राम से लगभग 1 ग्राम खुरासानी अजवाइन का चूर्ण शहद के साथ सुबह-शाम सेवन करने से फेफड़ों के दर्द व सूजन में लाभ मिलता

है। अजवाइन 20 ग्राम, सेंधानमक 10 ग्राम, कालानमक 10 ग्राम आदि को पुदीना के लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग रस में कूट लें फिर छानकर 5-5 ग्राम सुबह और शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ लें।

लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग अजवाइन के बारीक चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ पीने से कब्ज समाप्त होती जाती है।

अजवाइन और कालानमक को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को पानी के साथ पीने से पेट के दर्द में आराम देता है।

मसूड़ों का रोग : अजवाइन को भून व पीसकर मंजन बना लें। इससे मंजन करने रोग नष्ट हो जाता है।

वायु विकार : 5 ग्राम पिसी हुई अजवाइन को 20 ग्राम गुड़ में मिलाकर छाछ (मूँड़े) के साथ लेने से लाभ होता है।

एक चम्मच अजवाइन और थोड़ा कालानमक एक साथ पीसकर इसमें छाछ मिलाकर पीने से पेट की गैस की शिकायत दूर होती है।

अधिक भूख के (अतिवृद्धा भस्मक) रोग में : 20-20 ग्राम अजवाइन और सौंठ, 5 ग्राम नौसादर एक साथ पीस-छानकर नींबू के रस में मटर की तरह गोली बनाकर छाया में सूखा पेट की गैस (वायु) नष्ट होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है तथा भूख भी बढ़ जाती है। पेट की गैस, वायु निकालने के लिए यह बहुत ही सफल नुस्का (विधि, तरीका) है।

वात-पित्त का बुखार : अजवाइन 6 ग्राम, छोटी पीपल 6 ग्राम, अडूसा 6 ग्राम और पोस्त का डोडा 6 ग्राम लेकर काढ़ा बना लें, इस काढ़े को पीने से कफ का बुखार, शवास (दमा) और खांसी दूर हो जाती है।

जुकाम के साथ-साथ हल्का बुखार : देशी अजवाइन 5 ग्राम, सतगिलोए 1 ग्राम को रात में 150 मिलीलीटर पानी में भिगोकर, सुबह मसल-छान लें। फिर इसमें नमक मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से लाभ मिलता है।

धर्म अध्यात्म



यदि "महाभारत" को पढ़ने का समय न हो तो भी इसके नौ सार - सूत्र हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं



पिकी कुंडू

5. संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयंशा का दर्शन कराता है। दुरोधन को देख

1. संतानों की गलत माँग और हट पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो अंत में आप असहाय हो जायेंगे। कौरवों को देख लें।
2. आप भले ही कितने बलवान हो लेकिन अधर्म के साथ हो तो, आपकी विद्या, अस्त्र - शस्त्र शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जायेगा। कर्ण को देख लें।
3. संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयंशा कर सर्वनाश को आमंत्रित करें। अश्वत्थामा को देख लें।
4. कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। भीष्म #पितामह को देख लें।

6. मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह, काम और अध्व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है। धृतराष्ट्र को देख लें।
7. यदि व्यक्ति के पास विद्या, विवेक से बँधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। अर्जुन को देख लें।
8. हर कार्य में छल, कपट, व प्रपंच रच कर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। शकुनी को देख लें।
9. यदि आप नीति, धर्म, व कर्म का सफलता पूर्वक पालन करेंगे, तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। युधिष्ठिर को देख लें।



यमलोक के द्वार पर बहने वाली 'वैतरणी नदी' का रहस्य

पिकी कुंडू

हमारे शास्त्रों (गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण) में मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी यात्रा के दौरान नरक लोक और यमलोक की सीमा पर एक भयानक नदी स्थित है, जिसे 'वैतरणी' कहा जाता है। कैसी होती है यह नदी? यह कोई सामान्य जल की नदी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, यह रक्त, कीचड़, पीप, और विषैले पदार्थों से भरी है। इसका 'जल' तेजाब के समान खौलता रहता है। इसमें भयंकर साँप, बिच्छू और मगरमच्छ जैसे जीव आत्माओं को कष्ट देने के लिए रहते हैं।

इस नदी में कौन गिरता है? गरुड़ पुराण के अनुसार, अपने जीवन में कुकर्म करने वाले लोग इस नदी में धकेले जाते हैं।

* माता - पिता, गुरु और साधुओं का अपमान करने वाले।

* झूठ, छल-कपट और धोखा देने वाले।

* गौ-हत्या या गौ-अपमान करने वाले।

* लोभी और दान न करने वाले व्यक्ति।



वैतरणी पार कैसे होती है?

(गौदान का महत्त्व) यहाँ पर 'गौदान' का सबसे बड़ा महत्त्व बताया गया है। जिसने जीवन में निस्वार्थ भाव से गौदान किया हो, मृत्यु के पश्चात वह गाय उस आत्मा को इस भयानक नदी से पार लगाती है।

क्या है वैतरणी दान? मृत्यु के समय या श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाला एक विशेष दान, जिससे आत्मा को यह नदी पार करने में सहायता मिलती है।

सामग्री: काले रंग की गाय (या प्रतीकात्मक), तिल, लोहा, कंबल, जल पात्र आदि।

बचाव का मार्ग (आध्यात्मिक संदेश) वैतरणी नदी केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। इससे बचने का उपाय है — जीवन में धर्म, करुणा, सत्य और गौ-सेवा का मार्ग अपनाना। अच्छे कर्म ही परलोक में साथी बनते हैं।

दंबोधव - जिसके पाप का दांड महारथी कर्ण ने भोगा...

पिकी कुंडू

महाभारत ऐसी छोटी-छोटी कथाओं का समूह भी है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। जो सुंदरता के साथ वेदव्यास ने सहस्रों छोटी-छोटी घटनाओं को एक साथ पिरोया है वो निश्चय ही अद्वितीय है। ऐसी ही एक कथा दंबोधव दानव की है जो सीधे तोर पर कर्ण से जुड़ी है और अर्जुन एवं श्री कृष्ण भी उसका हिस्सा हैं। ये कथा वास्तव में कर्ण के पूर्वजन्म की कथा है जिसके कारण उसे अगले जन्म में भी इतना दुःख भोगना पड़ा।

ये कथा महाभारत से बहुत पहले, रामायण से भी बहुत पहले, त्रेतायुग की है। दंबोधव नाम का एक प्रतापी असुर था जिसने भगवान सूर्यनारायण की १००० वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए और वर माँगने को कहा।

वर में उसने अमरत्व का वरदान माँगा जिसपर सूर्यदेव ने उसे कहा कि रक्षक! अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं है क्योंकि सृष्टि के नियम के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी अपने विधान को नहीं बदलते। तब उस दानव ने बहुत सोच कर कहा - रहे देव! अगर ऐसा है तो मैंने सहस्र वर्षों तक आपकी तपस्या की है इसी कारण मुझे प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिव्य कवच प्रदान करें। उन १००० कवचों में मैं पूर्णतः सुरक्षित रहूँ। प्रत्येक कवच को केवल एक मानव ही नष्ट कर सके और वो भी वही जिसने मेरी तरह १००० वर्षों तक तप किया हो। साथ ही जैसे ही वो मेरा कवच तोड़े, वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाये। अब सूर्यदेव धर्मसंकट में पड़ गए। उन्होंने ये तो पता था कि दंबोधव ये वरदान



कौन था दंबोधव - जिसके पाप का दांड महारथी कर्ण ने भोगा....

सृष्टि के अहित के लिए ही माँग रहा है किन्तु वे विवश थे इसी कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। उनके वरदान के प्रभाव से उसके चारो ओर १००० दिव्य कवच उत्पन्न हो गए और वो रक्षककवच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसी आशंका थी, उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में त्राहि-त्राहि मचा दी। त्रिदेव भी विवश थे कि वे उसका वध नहीं कर सकते अन्यथा सूर्यदेव का अपमान हो जाएगा। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मपुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मदेव के मानसपुत्र धर्म से किया था। मूर्ति से दंबोधव का ये अत्याचार देखा नहीं गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके गर्भ से जन्म लेकर उस रक्षक का अंत करें। नारायण ने ये वरदान दिया। समय आने पर मूर्ति के गर्भ से जुड़वाँ पुत्र का जन्म हुआ जिसे 'नर-नारायण' के नाम से जाना गया। उपनयन होते ही नारायण ने

भगवान शिव की तपस्या आरम्भ कर दी और नर ने दंबोधव के राज्य में जाकर उसे ललकारा। जब उस असुर ने एक बालक को देखा तो हँसते हुए जाने को कहा। इसपर नर ने कहा - 'रे अधम! मुझे तेरे वरदान के बारे में ज्ञात है। मेरे बदले मेरा भाई नारायण तप कर रहा है। हम दो शरीर अवश्य है पर हमारी आत्मा एक है। आज मैं अवश्य तेरा वध करूँगा।' तब दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया।

दंबोधव ये देख कर आश्चर्यचकित रह गया कि वास्तव में नारायण के तप की शक्ति नर को मिल रही है। वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। उधर जैसे ही नारायण ने अपनी तपस्या के १००० वर्ष पूरे किये, नर ने दंबोधव का एक कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही वरदान के कारण नर की मृत्यु हो गयी। दंबोधव प्रसन्न हुआ कि एक कवच भले ही नष्ट हो गया किन्तु उसका

ललकारा। ये क्रम चलता ही रहा और तबतक चलता रहा जबतक उस असुर के ९९९ कवच नष्ट नहीं हो गए। जब अंतिम कवच शेष रहा तो दंबोधव भयभीत हो सूर्यदेव की शरण में चला गया जिन्होंने उसे अपने तेज का एक भाग बना कर स्वयं में समा लिया।

उधर तपस्या पूर्ण कर नर और नारायण उसे ढूँढते हुए सूर्यदेव के पास पहुँचे और उनसे कहा कि वे दंबोधव को उनके सुपुत्र कर दें। किन्तु शरणागत की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने ऐसा नहीं किया। तब नर-नारायण ने सूर्यदेव की भर्त्सना करते हुए कहा - रहे सूर्यदेव! आपने ही अविवेक के कारण इस असुर को ऐसा वरदान दिया जिससे पृथ्वी त्रस्त हो गयी। आपके वरदान के कारण हम दोनों भाई ९९९ बार मृत्यु का कष्ट भोग चुके हैं। ये जानते हुए कि इसका वध अनिवार्य है, आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। अतः अब आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाइये हम आपको श्राप देते हैं कि इस असुर को अगला जन्म आपके ही तेज से मिलेगा और युग में सूर्यदेव के तेज के साथ उसी एक बचे हुए कवच के साथ कर्ण के रूप में जन्मा। द्वापर में नर और नारायण अर्जुन एवं कृष्ण के रूप में जन्मे जिनके कारण अंततः कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ। सूर्य एवं और के मेल के कारण जहाँ कर्ण में सूर्यदेव का तेज और अतुल बल था, वही असुर दंबोधव के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग चुना और अंत में उसका पतन हुआ।

उधर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। नारायण ने वर के रूप में उनसे मृतसञ्जीवनी माँगी, जिसे महादेव ने उन्हें प्रदान किया। वो विद्या लेकर नारायण तत्काल नर के मृत शरीर के पास पहुँचा और उसे जीवित कर दिया। अब नर तपस्या को गया और नारायण ने दंबोधव को ललकारा। दोनों के रूप-गुण में कोई भेद ना था इसी कारण दंबोधव को लगा कि नर लौट आया है। दोनों में पुनः युद्ध प्रारम्भ हुआ और जैसे ही नर ने १००० वर्षों का तपस्या पूर्ण की, नारायण ने दंबोधव को एक और कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही नारायण मृत हो गए किन्तु नर ने नारायण को मृतसञ्जीवनी विद्या से जीवित कर दिया। अब फिर नारायण तप को गए और नर ने दंबोधव को पुनः युद्ध के लिए

स्त्री केवल देह नहीं, चेतना है



पिकी कुंडू

शास्त्र कभी भी स्त्री को सिर्फ शरीर, भूमिका या रिश्ते के रूप में नहीं देखते। शास्त्रों में स्त्री को चेतन शक्ति कहा गया है — वही शक्ति जो जड़ को भी गति देती है। मायात्रं साफ़ कहता है कि संसार में कोई भी जड़ वस्तु पूरी तरह निर्जीव नहीं है, हर जगह चेतना किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और उसी चेतना का सजीव, सक्रिय रूप स्त्री है। मायात्रं (प्रथम पटल) में स्पष्ट कहा गया है — "या दुर्गा सा महाकाली तारिणी बगलामुखी। अन्पूर्णा च सा माया गृहिणी कल्पशालिनी ॥"

अर्थ यह है कि वही चेतन शक्ति कभी दुर्गा बनती है, कभी महाकाली, कभी तारिणी, कभी बगलामुखी और वही शक्ति गृहस्थ जीवन में गृहिणी बनकर पूरे वंश को संभालती है। यानी स्त्री सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, भाग्य चलाने वाली शक्ति है। जब स्त्री शांत होती है, तो घर में बिना बोले व्यवस्था बन जाती है और जब स्त्री भीतर से टूटती है, तो बिना किसी बड़े कारण के भी जीवन बिखरने लगता है। यह कोई भावना की बात नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। मायात्रं आगे कहता है — "माया गुणात्मा देवी निर्गुणानां चिदात्मिका ॥" अर्थात् देवी माया ही सभी गुणों की जननी है और वही निर्गुण चेतना का स्वरूप स्त्री है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं — * स्त्री को दबाओ मत, * स्त्री को छोटा मत समझो, क्योंकि जहाँ स्त्री की चेतना दुखी होती है, वहाँ पूजा, जप, व्रत — सब निष्फल हो जाते हैं। और जहाँ स्त्री अपने अस्तित्व में स्थिर होती है, वहाँ बिना किसी दिखावे के चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। समर्पित प्रार्थना माँ, मेरी चेतना को स्मरण करा दो। मैं स्वयं को भूल न जाऊँ, इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने अस्तित्व में स्थिर रह सकूँ। इसे जीवन में उतारने का छोटा सा तरीका: दिन में एक बार मन में सिर्फ इतना कहें — "मैं बोझ नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ।" यह वाक्य स्त्री - ऊर्जा को भीतर से जगाने लगता है। क्या आप जानते हैं शास्त्र क्यों कहते हैं कि स्त्री के दुखी होने से पूरे वंश की ऊर्जा गिरने लगती है, और स्त्री के जागृत होने से पूरे वंश खुलते हैं। आपको क्या लगता है — स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका त्याग है या उसकी चेतना ?

क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ स्थान केवल मंदिर नहीं होते, बल्कि चेतना के द्वार होते हैं

पिकी कुंडू

हिंदू गलाज शक्तिपीठ ऐसा ही एक रहस्यमय और गूढ़ स्थल है, जहाँ पहुँचने से पहले ही मन के भीतर कुछ बदलने लगता है। दुर्गम पर्वतों और निर्जन धरती के बीच स्थित यह शक्तिपीठ केवल भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा का आरंभ है। यहाँ आने वाला हर साधक यह अनुभव करता है कि मानो शक्ति स्वयं उसे बुला रही हो। कथा सती से जुड़ी है, पर यह केवल कथा नहीं, चेतना का संकेत है। जब सती ने देह त्याग किया और भगवान शिव उन्हे लेकर तांडव में लीन हो गए, तब सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। उसी क्षण विष्णु द्वारा शरीर के विभाजन से जिन स्थानों पर अंग गिरे, वे शक्ति के केंद्र बन गए। हिंदू गलाज वह स्थान है जहाँ सती का ब्रह्मरन्ध्र गिरा, वही बिंदु जिसे योग में चेतना का सर्वोच्च द्वार कहा जाता है।

यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह स्थान साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि सहस्रार की दिशा में ले जाने वाला मार्ग है। यहाँ देवी का स्वरूप भी अनोखा है। न कोई भव्य मूर्ति, न आडंबर। माता स्वयंभू शिला रूप में विराजमान हैं। पहली दृष्टि में सादगी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है, भीतर गहराई उतरती चली जाती है। लगता है जैसे माता बाहरी सजावट नहीं, आंतरिक शुद्धता खोज रही हों। उनका स्वरूप उग्र भी है और करुणामय भी, जैसे शक्ति और ममता एक साथ बह रही हों। हिंदू गलाज शक्तिपीठ की रक्षा भैरव भीमलोचन करते हैं, जो तांत्रिक चेतना के प्रतीक माने जाते हैं। शाक्त और नाथ परंपरा में यह स्थान सदा से विशेष रहा है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने वाले सिद्ध देह की सीमाओं को पार कर चेतना के उच्च

स्तर तक पहुँचते थे। यहाँ की हवा में भी साधना का कंपन महसूस होता है। यहाँ की यात्रा आसान नहीं है। रेगिस्तान, कठोर जलवायु और लंबा मार्ग हर श्रद्धालु की परीक्षा लेता है। लेकिन शायद यही परीक्षा इस पीठ की विशेषता है। जो यहाँ तक पहुँचता है, वह केवल कदमों से नहीं, संकल्प से चलता है। इसी कारण इसे मन, वाणी और शरीर की शुद्धि का स्थान माना गया है। लोक परंपरा में नानी का हज कहलाने वाली यह यात्रा विभिन्न समुदायों को एक ही भाव में जोड़ देती है। हिंदू गलाज शक्तिपीठ हमें यह एहसास कराता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, भीतर की जागृति में है। यह वह स्थान है जहाँ अहंकार धीरे धीरे गलता है और आत्मा का विस्तार होने लगता है। शायद इसलिए हिंदू गलाज केवल देखा नहीं जाता, वह भीतर तक अनुभव किया जाता है।



समाधान शिविरों से नागरिकों को मिल रहा त्वरित समाधान : डीसी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 02 फरवरी। सुशासन की अवधारणा को सशक्त बनाने तथा प्रशासन को आमजन के और अधिक निकट लाने में समाधान शिविर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को लघु सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान नागरिकों ने विभिन्न विषयों से जुड़ी आठ शिकायतें दर्ज कराईं। उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर केवल शिकायतें सुनने का मंच नहीं है, बल्कि यह बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और त्वरित सेवा प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। इन शिविरों से आमजन को सीधे प्रशासन से संवाद का अवसर मिलता है, जिससे समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। बिजली, पानी, पेंशन सहित कई मुद्दों पर आई शिकायतें शिविर के दौरान बिजली, पेयजल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, राजस्व से जुड़े मामलों, पेंशन, अवैध कब्जे, स्वच्छता तथा सड़कों से संबंधित समस्याएं प्रमुख रूप से



सामने आईं। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शीघ्र समाधान किया जाए।

सोमवार व गुरुवार को नियमित आयोजन

उपायुक्त ने जानकारी दी कि प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है। आमजन इन शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में

पहुंचकर लाभ उठाएं।

उपमंडलों में भी आयोजित हुए समाधान शिविर

जिला मुख्यालय के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविर आयोजित किए गए। बेरी में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर एसडीएम रेणुका नांदल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बादली में एसडीएम रमन गुप्ता तथा बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच की अध्यक्षता में समाधान शिविर लगाए गए, जहां नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। बादली दयाकिशन जगड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

समस्याएं सुनीं।

इन विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित

जिला स्तरीय समाधान शिविर में एसडीएम जगनिवास, एसडीएम अंकित कुमार चौकसे आईएएस, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, सीटीएम नमिता कुमारी, एसपीओ अखिल कुमार, डीआरओ मनवीर सिंह सांगवान, डीडीपीओ निशा तंवर, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग सुमित कुमार, नगर परिषद झज्जर के चेयरमैन जिले सिंह सैनी, कचि निवारण कमेटी सदस्य दयाकिशन जगड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गंगड़वा के सरपंच को पद से हटाया गया

झज्जर, 02 फरवरी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने ग्राम पंचायत गंगड़वा, खंड बादली के सरपंच जितेन्द्र कुमार को पद से हटा दिया है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बादली द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जितेन्द्र कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए माननीय जिला अदालत, झज्जर द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त दोष सिद्धि के आधार पर उन्हें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 के अंतर्गत सरपंच पद पर बने रहने के लिए अयोग्य पाया गया। उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जितेन्द्र कुमार को सरपंच पद से हटाने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बादली को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत से संबंधित सभी अभिलेख, धनराशि एवं चल-अचल संपत्ति को अधिनियम की धारा 51(6) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सुपुर्द करवाना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध ही डिजिटल लाइब्रेरी : डीसी

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने किया टाउन हॉल में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने सोमवार को अंबेडकर चौक पर स्थित टाउन हॉल में सेल्फ स्टडी के लिए नव स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी का रिबन काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया।

डीसी ने लाइब्रेरी परिसर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा और डिजिटल तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने लाइब्रेरी परिसर का देखेख कर रही एनजीओ गवहांड फाउंडेशन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

डीसी ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। यहाँ उपलब्ध डिजिटल संसाधनों से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ सामान्य अध्ययन और तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा



कि लाइब्रेरी में नियमित सफाई, बैठने की उचित व्यवस्था और शांत वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके। इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया। डीसी ने नए अधिकारियों से कहा कि उपकरणों

की समय-समय पर जांच भी करते रहें और किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर तुरंत समाधान किया जाए। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह सैनी भी उपस्थित रहे।

डीसी ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को ई-बुक, सामान्य ज्ञान, समाचार पत्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध है। उन्होंने लाइब्रेरी से संबंधित सुविधाओं का बारीकी से



निरीक्षण किया। ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सके।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, सीटीएम नमिता कुमारी, नेहरू पीजी कॉलेज के प्राचार्य

दलबीर सिंह हुड्डा, नगर परिषद के ईओ देवेन्द्र सिंह, गवहांड फाउंडेशन से रियायत कर्नल योगेंद्र सिंह, रियायत हेड मास्टर राजबीर सिंह, वी.पी. हिल्लों, सर्वजीत धनखंड सहित अनेक नागरिक उपस्थित रहे।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश टीम में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव

नए पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियाँ

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली। दिनांक: 2 फरवरी 2026 पत्रकारों के हितों एवं संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिल्ली प्रदेश टीम में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय उपाध्याय, महासचिव नरेंद्र भंडारी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सक्सेना जी के निदेशानुसार दिल्ली प्रदेश संगठन को मजबूत करने हेतु दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली इकाई में नए उपाध्यक्ष सौंपे गए हैं।

इन बदलावों के तहत देवेन्द्र पवार को दिल्ली प्रदेश



महासचिव नियुक्त किया गया है। मुकेश मथुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। संजीव चौहान को संगठन का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर संजय सक्सेना जी को अन्य राज्यों के साथ दिल्ली प्रदेश टीम के संपर्क अधिकारी का दायित्व सौंपा गया।

संजय सक्सेना जी को दिल्ली प्रदेश टीम का संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त संगठन को मजबूती देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे पदाधिकारियों में धर्मेन्द्र भदौरिया (उपाध्यक्ष), नरेंद्र धवन (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष), स्वतंत्र सिंह भुल्लर (उपाध्यक्ष), ईश मालिक


(उपाध्यक्ष), जगजीत सिंह (प्रचार सचिव) तथा जितेंद्र दिवाकर प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर संगठन की बैठक में पत्रकारों की समस्याओं, उनके अधिकारों, सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य वातावरण एवं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श कर यह संकल्प लिया गया कि पत्रकारों की आवाज को मजबूती से सरकार और प्रशासन तक पहुँचाया जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ देते हुए अपेक्षा जताई कि सभी पदाधिकारी संगठन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएँगे और पत्रकार हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे।

इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर कोटद्वार के मोहम्मद दीपक की सुरक्षा की मांग की

मानवता और भाईचारे का संदेश देने वाले दीपक पर हमला निन्दनीय - राशिद सैफ़ी

आज दिनांक 02/02/2026 को इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर कोटद्वार के मोहम्मद दीपक कुमार की सुरक्षा की मांग की।

सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राशिद सैफ़ी ने ज्ञापन के संबंध में बताया कि कोटद्वार के दीपक कुमार ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति पर कट्टर हिंदूवादी संगठन द्वारा धार्मिक भेदभाव के तहत कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को प्रताड़ित करने का विरोध करके पूरे देश और समाज को मानवता और भाईचारे का संदेश दिया था, लेकिन जिस तरह से मानवता और भाईचारे



की बात करने वाले दीपक पर सैकड़ों उग्र कट्टर हिंदूवादी लोगों ने हमला किया वो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश

प्रतीत होती है कोटद्वार प्रशासन के सामने ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण एवं निन्दनीय है इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी इस हमले का विरोध एवं निंदा करती है इसीलिए आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सोसाइटी की तरफ से एक ज्ञापन भेजा है जिसमें मांग की है कि मानवता का संदेश देने वाले दीपक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये उनकी व उनके परिवार की जान माल की हिफाजत की जाये साथ ही कोटद्वार व उत्तराखंड प्रदेश में पारदर्शी कानून व्यवस्था स्थापित की जाये जिससे फिर किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव ना हो और ना ही किसी दीपक पर इस तरह का हमला हो।

विचार, केके छाबड़ा

(आजकल यह एक रिवाज बन गया, हर इंसान ऊपर जाने के लिए, दूसरे इंसान को लकड़ी की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद उसे भूल जाता है. लेकिन वो इंसान यह भूल जाता है जब वह नीचे आया, यही लोग इसे पहचाने भी नहीं. यही सच है. मानो या ना मानो.) (इन्सान झूठ तो बड़ी सफाई से बोल देता है, लेकिन साथ ऐसी गलती भी कर देता है, कि उस इंसान का झूठ पकड़ा जाता है. इंसान को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिस काम से बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़े. सच को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जब भी, आप के मुख से निकलेगा, सच ही निकलेगा. झूठ को याद रखना पड़ता है. पहले क्या बोला था, अब क्या बोलना है. फिर भी इंसान गलती कर बैठता है, और पकड़ा जाता है. इस से अच्छा है इन्सान सच ही बोले. आप क्या सोचते हैं. जय माता दी.)

41 वर्ष की उम्र में रचा इतिहास, योगेश कुमार बने बेस्ट बॉलर

उमेश कुमार

नई दिल्ली: दिल्ली प्रशासन क्रिकेट टीम के कप्तान योगेश कुमार ने क्रिकेट के मैदान पर एक नया इतिहास रचते हुए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार अपने नाम किया। उन्हें इस उपलब्धि के लिए 20,250 रुपये की नकद राशि एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

41 वर्ष की आयु में यह मुकाम हासिल कर योगेश कुमार ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण की कोई उम्र नहीं होती। उनका यह प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आया है। योगेश कुमार ने डीडीसीए लीग सीजन 2023-24 में पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार निरंतरता दिखाते हुए टॉप गेंदबाज (टॉपर) का स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा, वे डीडीसीए

द्वारा आयोजित पहली दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस टीम का भी अहम हिस्सा रहे। गेंदबाजी में योगेश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी लाइन और लेथ पर बेहतरीन पकड़ है। वे दोनों ओर प्रभावी स्विंग करार में माहिर हैं, खासतौर पर उनकी आउटस्विंग गेंदें बल्लेबाजों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होती हैं। इसके साथ ही, उनकी सटीक और चौकाने वाली स्लो बॉल्ल्स किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीकता और निरंतरता साफ झलकती है। निरसंदेह, योगेश कुमार की यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल दिल्ली प्रशासन क्रिकेट टीम के लिए गर्व का विषय है, बल्कि अपने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत है।



मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में आठवाँ वार्षिक जश्न दस्तारबंदी का भव्य आयोजन

शम्स आगाज

नई दिल्ली: मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, बटला हाउस, नई दिल्ली में आठवाँ वार्षिक दस्तारबंदी जलसा हाफिज़-ए-कुरआन अत्यंत श्रद्धा, आध्यात्मिक वातावरण और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। इस बरकत भरे अवसर पर उलमा-ए-किराम, हाफिज़-ए-कुरआन, गणमान्य व्यक्तियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने शिरकत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

कार्यक्रम के महत्वपूर्ण चरण में हाफिज़-ए-किराम की दस्तारबंदी की गई, जिसे देखकर उपस्थित जनों ने खुशी और प्रसन्नता का इजहार किया। इस मौके पर पुस्तकी शाहिद सरवर क़ासमी (इमाम व ख़तीब, मस्जिद अबू बकर) और मौलाना अब्दुस्सत्तार क़ासमी (इमाम व ख़तीब, मस्जिद बिलात, संगम विहार) ने विशेष तक्रिरीं कीं। वक्तव्यों ने कुरआन-ए-करीम की अजमत, हिफ़्ज़-ए-कुरआन की

अहमियत, दीनी तालीम की ज़रूरत और अख़लाक़ी तरबियत पर अत्यंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक बातें रखीं। जलसे की सदारत हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुस्तकीम क़ासमी साहब (इमाम व ख़तीब, मस्जिद अन-नूर) ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना इस्लाम नुमानी ने बेहतरीन अंदाज़ में निभाए। विभिन्न प्रमुख उलमा-ए-किराम ने अपने संबोधनों में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन की दीनी और शैक्षिक सेवाओं की सरोहना करते हुए इसे मिल्लत-ए-इस्लामिया के लिए एक क़रीमती धरोहर बताया। विशेष अतिथियों में आलिम

फ़रीद, रिज़वान ख़ान, डॉ. अब्दुल क़ादिर, ज़फ़र पालवी और अरशद तस्लीम शामिल रहे। सभी ने मदरसे के चिन्मददारी की मेहनत, इज़लास और दीनी सेवाओं की खुले दिल से प्रशंसा की और हाफिज़-ए-किराम के उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। मंच की शोभा बढ़ाने वालों में क़ारी अशाफ़ाक़, हाफिज़ एहतिशाम, मौलाना अब्कार, हाफिज़ गुफ़रान, हाफिज़ उबैदुल्लाह, मौलाना उसामा, मौलाना शम्सुज्जमा और क़ारी अतीक शामिल रहे, जिनकी उत्प्रेरित ने जलसे की गरिमा में और इज़ाफ़ा किया।

बजट 2026 में STI बढ़ोतरी: फ्यूचर्स-ऑप्शंस ट्रेडिंग हुई महंगी, ट्रेडर्स में चिंता

संगिनी घोष,



केंद्रीय बजट 2026-27 में बाजार से जुड़ी एक बड़ी घोषणा के तहत सरकार ने इक्विटी डेरिवेटिव्स, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटीज ट्रांज़िक्शन टैक्स (STI) बढ़ाने का फैसला किया है। इस कदम का सीधा असर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वित्तीय वर्ष से यह कारोबार और महंगा हो जाएगा।

सरकार का उद्देश्य बढ़ती सट्टेबाजी गतिविधियों को नियंत्रित करना है, जो हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। खासकर रिटेल निवेशकों की F&O बाजार में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए नीति निर्माताओं का मानना है कि जोखिम को कम करने और बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं।

बजट फोकस: बढ़ती सट्टेबाजी पर नियंत्रण की कोशिश

भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का दायरा तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही अल्पकालिक सट्टेबाजी और नए निवेशकों के भारी नुकसान को लेकर चिंता भी बढ़ी है।

STI बढ़ाने के फैसले को सरकार की ओर से एक प्रयास माना जा रहा है कि बाजार में अस्वस्थ ट्रेडिंग व्यवहार को धीमा किया जा

सके। हालांकि कई ट्रेडर्स का कहना है कि इससे सट्टेबाजी कम होने के बजाय आम निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।

इस घोषणा के बाद बाजार में हलचल देखी गई और बजट वाले दिन शेयर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

STI में क्या बदलाव हुआ है?

नई बजट योजना के तहत डेरिवेटिव्स लेन-देन पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे F&O ट्रेडिंग की कुल लागत बढ़ जाएगी।

मुख्य बिंदु

- घोषणा: केंद्रीय बजट 2026-27 में
- बड़ा बदलाव: फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STI बढ़ा
- फ्यूचर्स STI: 0.02% से बढ़ाकर 0.05% प्रस्तावित
- ऑप्शंस STI: लगभग 0.15% तक बढ़ाया गया
- सरकार का उद्देश्य: सट्टेबाजी और बाजार जोखिम कम करना
- तत्काल असर: ट्रेडर्स सतर्क, बाजार में अस्थिरता

रिटेल ट्रेडर्स के लिए यह क्यों अहम है?

मेरे अनुसार यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग आज के समय में खासकर युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है। ऐसे में टैक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी रोजाना ट्रेडिंग रणनीतियों और भागीदारी को प्रभावित कर सकती है।

विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है — कुछ इसे बाजार को स्वस्थ बनाने वाला कदम मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि इससे लिक्विडिटी घट सकती है।

राष्ट्रीय असर और आगे की राह

डेरिवेटिव्स बाजार भारत के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा है, इसलिए STI में बदलाव का असर आने वाले महीनों में बाजार की गतिविधियों पर साफ दिखाई देगा।

अब मुख्य सवाल यह है कि क्या यह बढ़ोतरी वास्तव में सट्टेबाजी को नियंत्रित करेगी या केवल ट्रेडिंग को महंगा बनाकर सीमित असर छोड़ेगी।

डिजिटल मेटाडिस्क्रीप्शन (SEO):

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांज़िक्शन टैक्स (STI) बढ़ाया है। यह कदम सट्टेबाजी कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स में चिंता बढ़ी है।

समाज परिवर्तन में नारी और परिवार की भूमिका: एक भारतीय दृष्टि

परिवहन विशेष न्यूज



गुप्ता, सुप्रिया गुप्ता, आशा झा, बमशंकर दुबे, संजीव सिंह, पंकज राकेश झा, राकेश राय, शत्रुघ्नसिंह, बरनवाल, बाबा सोना श्रृंगारी इत्यादि सुधीर सिंह, पंकज सिंह भदोरिया, अनेको सदस्य मौजूद थे।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 21 के समकक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के तहत।

नरेश गुणपाल

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना मुहैया नहीं करवाने वाले या जानबुझकर अधूरी, मिथ्या, भ्रमित करने वाली जानकारी मुहैया करवाने वाले जन सूचना अधिकारियों/राज्य जन सूचना अधिकारियों/केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का भी प्रावधान है।

जन सूचना अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं देना धारा-7(2) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का संरक्षण उल्लंघन है।

जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-7(8) के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 166ए और 167 के तहत एफआईआर दर्ज होगी।

जन सूचना अधिकारियों द्वारा झूठी जानकारी देना जिसका प्रमाण आवेदक के पास मौजूद है तो एसी



स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए, 167, 420, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान है।

प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्णय नहीं किये जाने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 166ए, 188 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारियों के समक्ष जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचनावैदक के बाद सम्यक सूचना के भी गैरहाजिर रहने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 176, 188, और 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान है।

यादों के झरोखे अनखिला फूल 'अरुण बंसल (कूका)

(22वीं पुण्यतिथि पर विशेष)

करते हैं कि जो ईसान इस नखर संसार में आया है, उसका ज्ञान प्रदत्त है। लेकिन जब कोई अनखिला फूल अपनी गहक बिखेरने से पहले ही अलविदा कह जाए, तो उसका खिड़ोड़ा अन्न भर की एक ऐसी टीस बन जाता है जो कभी कम नहीं होती। ऐसा ही एक नाम है अरुण बंसल (कूका), जिनकी 12वीं पुण्यतिथि पर आज पूरा क्षेत्र उन्हें नम्र अर्पणों से याद कर रहा है।

ने जीवित रखा है। उन्होंने न केवल व्यवसाय को बुनियादों पर पहुँचाया, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी बड़े गौरव के पथर स्थापित किए हैं। बाबू शाहन लाल बंसल जी ने जहाँ पुत्र के दिवंगन का पहाड़ जैसा दुःख सल, वहीं दूढ़ संकल्प के साथ परिवार को उस पीड़ा से उभार कर जन सेवा के मार्ग पर चलाना। सच्ची श्रद्धांजलि अरुण बंसल आज भी अपनी यादों और परिवार द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के आभार से हमारे बीच जीवित हैं। उनकी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी सकात्मक सोच पर चलते हुए समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएँ। आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने परमों में स्थान दे और परिवार पर अपना कृपा भरा हाथ रखे।

सौम्य से: बंसल परिवार (सूत्र धराट) एवं समस्त भ्रिग्न गण।

नर्मदा साहित्य मंथन में स्वाति सिंह राठौर साहिबा हुई सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

इंदौर में आयोजित विश्व संवाद केंद्र द्वारा मध्यप्रदेश के सबसे चर्चित व बड़ा साहित्य सम्मेलन नर्मदा साहित्य मंथन इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार, तक्षशिला परिसर में संपन्न हुआ। जिसमें देशभर के इतिहासकार, कवि लेखक, साहित्यकार, पत्रकार प्रबुद्धजन सम्मिलित हुए। इस

'बजट' अच्छा या बुरा...!



देश में पेश हो चुका है आम केंद्रीय बजट, हर बार 'राजनीतिक प्रतिक्रिया' है विकट। कोई भी दल हटकर क्यों? नहीं बोल पाते, सतापक और विपक्ष भिन्न दिशा में जाते।

सतापक बजट को उपलब्धियों से गिनाते, विपक्ष 'जनविरोधी और दिशाहीन' बताते। सवाल यह है कि 'बजट' अच्छा है या बुरा, जनता चुनाव में तय करेगी सूर्य व बैसूर।

विपक्ष सरकार की खामियों 'उजागर' करें, सरकार से सवाल पूछने के हक अदा करें। 'आलोचना' भी तभी होगी अधिक प्रभावी, किसी कदम की खुले मन से सराहना करें।

संजय एम तराणेकर (कवि, लेखक व समीक्षक)



कार्यक्रम के अंतर्गत लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जिसमें संघ में व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक महत्व विषय पर देश भर से आई प्रविष्टियों में स्वाति सिंह राठौर के आलेख को चर्चनित किया गया। इन्हें नर्मदा साहित्य मंथन विश्व संवाद केंद्र मालवा के मंच से कार्यक्रम संयोजक श्रीरंग पेंडारकर एवं प्रतियोगिता संयोजक श्री अमित

राव पवार द्वारा सम्मानित किया गया इस उपलब्धि पर स्वाति सिंह राठौर साहिबा को सम्मानिय विकास दवे जी, आदरणीय हरेश्वर वाजपेई, लेखिका शीला चंदन, शिक्षिका विनीता सिंह चौहान, एडवोकेट जितेंद्र नेगी और इष्टमित्रों ने हर्ष व्यक्त किया।

रिपोर्टिंग स्वतंत्र पत्रकार व लेखक - हरिहर सिंह चौहान

कानपुर में विस्फोट से झुलसे चार बच्चे, जांच में जुटी सचेंडी पुलिस सुनील बाजपेई

कानपुर। यहाँ से सचेंडी थाना क्षेत्र में हुए विस्फोट में चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 बच्चे के चेहरे की पूरी खाल जल गई। पुलिस और फॉरेंसिक विस्फोट किससे हुआ इसकी जांच में जुटी है। घटना सचेंडी थाना क्षेत्र का है।

इस विस्फोट में घायल हुए बच्चों का नाम निहाल, करिया, ऋषि और कृष्णा है। इसमें निहाल और करिया सगे भाई हैं। इन सभी की उम्र 7 से 8 साल है। ये सभी बच्चे दोपहर 12 बजे शौच करने के लिए एक साथ घर से निकले थे।

मौके पर पहुंची पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक वहाँ से लौटने के दौरान बच्चों को रास्ते में राख की तरह पॉलीथीन में कोई विस्फोटक मिला। बच्चे उसे उठा लाए। घर के बाहर बच्चों ने आग जलाई और उसमें पॉलीथीन रखी। वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। जिससे बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। जिसके बाद परिवार के वाली जाह और जहाँ पर विस्फोटक मिला था दोनों जगह जांच की है। इन सभी का प्रारंभिक उपचार कराने के लिए जिला अस्पताल उर्सला में एडमिट करा गया गया है। बच्चों को इलाज चल रहा है।

पुलिस को निहाल के पिता दीनू वही ने बताया कि बच्चे कहीं से कूड़ा बिनकर लाये थे उस कूड़े में एक पन्नी में कुछ विस्फोटक पदार्थ था। बच्चों ने आग जलाई और पॉलीथीन उसमें डाल दी। इसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में चार बच्चे झुलस गए। जिस जगह घटना हुई। वहाँ करीब 150 से अधिक लोग रहते हैं। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए विस्फोट वाली जगह और जहाँ पर विस्फोटक मिला था दोनों जगह जांच की है। विस्फोटक किस तौरता का और क्या था इसकी जांच के लिए पॉलीथीन का सैम्पल लिया गया है। फिलहाल विस्फोटक वहाँ कैसे पहुँचा पुलिस द्वारा इसकी भी जांच की जा रही है।

नकली माल से बीज विधेयक 2025 तक:- किसान संरक्षण, गुणवत्ता नियमन और वैश्विक कृषि शासन की दिशा में भारत का निर्णायक कदम

कृषि बाजार में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता संस्कृति को मजबूत करने यदि बीज विधेयक को कानून बनाकर प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वर्तमान डिजिटल प्रतिस्पर्धा युग में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रसार भी एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। चाहे वह दवाइयाँ हों, खाद्य पदार्थ हों, कृषि आदान हों या तकनीकी उपकरण, नकली माल का उपयोग उपभोक्ताओं के लिए केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर भी गहरा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विडंबना यह है कि जहाँ एक ओर उपभोक्ता इस बहुआयामी क्षति को झेलता है, वहीं दूसरी ओर इस गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े तत्व भारी आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। यही कारण है कि आज विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि नकली उत्पादों से निपटने के लिए केवल सामान्य आपराधिक कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि क्षेत्र-विशेष के लिए विशेष और कठोर कानूनों की आवश्यकता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि कृषि क्षेत्र में इस समस्या का प्रभाव और भी अधिक गहरा है, क्योंकि यहाँ नुकसान केवल एक उपभोक्ता तक सीमित न होकर खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय कृषि प्रणाली तक फैल जाता है। नकली या घटिया बीजों का प्रयोग किसानों की पूरी फसल, उसकी आय, अन्न चुकाने की क्षमता और अंततः उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यही पृष्ठभूमि है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बीज विधेयक,



2025 को ला रही है। यह एक ऐसा विधायी प्रयास जो न केवल नकली बीजों पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखता है, बल्कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कृषि बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। बीज विधेयक, 2025 दरअसल 1966 के पुराने बीज अधिनियम का स्थान लेने के लिए लाया गया है, जो वर्तमान समय की जटिलताओं और बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप अपर्याप्त सिद्ध हो रहा था। निम्नलिखित कुछ दशकों में बीज उद्योग में निजी कंपनियों, हाइब्रिड और उन्नत किस्मों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाओं का तीव्र प्रभाव हुआ है, लेकिन नियामक ढाँचा उसी अनुपात में विकसित नहीं हो सका। इस अंतर का लाभ उठाकर नकली बीजों का संगठित कारोबार फलता-फूलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नए विधेयक का मूल उद्देश्य इसी असंतुलन को सटीक रूप से दूर करना है।

साथियों बात अगर हम बीज विधेयक, 2025 को समझने की करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बीजों की गुणवत्ता को एक राष्ट्रीय मानक के अंतर्गत लाने का प्रयास करता है। विधेयक के अनुसार, बाजार में बेची जाने वाली सभी बीज किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक होगा। इसका अर्थ यह है कि कोई भी बीज, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकसित हो या निजी कंपनियों द्वारा, बिना नियामक स्वीकृति के किसानों तक नहीं पहुँच सकेगा। यह प्रावधान नकली और अप्रमाणित बीजों के लिए बाजार के दरवाजे बंद करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसके साथ ही, विधेयक बीज उत्पादकों, बीज प्रसंस्करण इकाइयों, डीलरों और पौध नर्सरियों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह व्यवस्था पूरी आपूर्ति श्रृंखला



को शोषण रोकना जा सके। यह प्रावधान कृषि को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न हो। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि कृषि आदानों में पारदर्शी ट्रेडिंग और पंजीकरण प्रणाली नकली उत्पादों को रोकने का सबसे प्रभावी साधन होती है, और इस दृष्टि से बीज विधेयक, 2025 भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रायों के समकक्ष खड़ा करता है।

साथियों बात अगर हम विधेयक को एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान से समझने की करें तो, आपातकालीन परिस्थितियों में बीज विक्री मूल्यों का विनियमन है। प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तनजनित संकटों या महामारी जैसी स्थितियों में अक्सर बीजों की कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। इसका सीधा पैदा किसान पर पड़ता है। बीज विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी असाधारण परिस्थितियों में बीजों की कीमतों को नियंत्रित कर सके, जिससे किसानों



करेगा। इससे न केवल निगारानी और शिकायत निवारण की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि नीति-निर्माण के लिए विश्वसनीय डेटा भी उपलब्ध होगा। अंतरराष्ट्रीय कृषि शासन में डेटा-आधारित नियमन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस दृष्टि से यह प्रावधान भारत को भविष्य के लिए तैयार करता है।


साथियों बात अगर हम बीज विधेयक, 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण आशंकाओं को समझने की करें तो, यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि कहीं यह किसानों की पारंपरिक प्रथाओं और किस्मों को सीमित न कर दे। हालांकि विधेयक इस संदर्भ में अत्यंत स्पष्ट है। इसके प्रावधान एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पहले से ही किसानों, सामुदायिक बीज उत्पादकों और स्वदेशी किस्मों की सुरक्षा के लिए प्रावधान मौजूद हैं यह विधेयक उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसका अर्थ यह है कि बीज विधेयक, 2025 किसी मौजूदा अधिकार को कमजोर नहीं करता, बल्कि नियमन और संरक्षण के बीच एक व्यावहारिक संतुलन बनाता है।

साथियों बात अगर हम इस विधेयक को दंडात्मक प्रावधानों की दृष्टि से भी समझने की करें तो, यह विधेयक पुराने कानून की तुलना में अधिक एजेंसियों के बीच एक साझा डिजिटल मंच प्रदान

रूपये तक का जुर्माना और कारावास का प्रावधान न केवल एक निवारक प्रभाव उत्पन्न करता है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि कृषि क्षेत्र में धोखाधड़ी को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। वैश्विक स्तर पर कृषि इनपुट्स की गुणवत्ता को लेकर जो सख्ती अपनाई जा रही है, भारत का यह कदम उसी दिशा में है।

साथियों बात अगर हम इस विधेयक को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो, बीज विधेयक, 2025 भारत को एक जिम्मेदार कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। आज जब वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दे केंद्र में हैं, तब बीजों की गुणवत्ता और उपलब्धता निर्णायक भूमिका निभाती है। यह विधेयक न केवल घरेलू किसानों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ाता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएँगे कि बीज विधेयक, 2025 नकली माल के खिलाफ भारत की व्यापक नीति का कृषि क्षेत्र में ठोस प्रतिबिंब है। यह विधेयक एक ओर किसानों को उम्मी और नुकसान से बचाने का प्रयास करता है, तो दूसरी ओर कृषि बाजार में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता संस्कृति को मजबूत करता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह न केवल किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक होगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करेगा। इस दृष्टि से बीज विधेयक, 2025 को केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत की कृषि नीति में एक संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।



संकट में फंसे पक्षी: जब बढ़ता शोर आकाश को चुरा लेता है



विजय गर्ग

गीत उन्हें साथी आकर्षित करने, शिकारियों के बारे में दूसरों को चेतावनी देने, क्षेत्र की रक्षा करने और सामाजिक बंधन बनाए रखने में मदद करते हैं। पृष्ठभूमि में शोर बढ़ने से पक्षियों को अपनी आवाज, स्वर या समय बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

भोर में आकाश पक्षियों के गीत से जुड़ा होना चाहिए। सदियों से, चहचहाहट, आवाज और धुन ने प्रकृति की लय को चिह्नित किया है और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत दिया है। फिर भी आज, यह प्राकृतिक ऑर्केस्ट्रा यातायात, निर्माण, लाउडस्पीकर, कारखानों और शहरी जीवन की निरंतर गड़गड़ाहट की लगातार बढ़ती दीवार के कारण दब गया है। ध्वनि प्रदूषण, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि इससे कोई निशान नहीं बचता, चुपचाप पक्षियों को संकट में डाल रहा है। खतरे में पड़े पक्षियों की भाषा पक्षी ध्वनि पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उनकी आवाजें सिर्फ संगीत नहीं हैं; वे उन्हे साथी आकर्षित करने, शिकारियों के बारे में दूसरों को चेतावनी देने, क्षेत्र की रक्षा करने और सामाजिक बंधन बनाए रखने में मदद करते हैं। पृष्ठभूमि में शोर बढ़ने से पक्षियों को अपनी



आवाज, स्वर या समय बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ प्रजातियां जोर से गाती हैं, अन्य उच्च आवृत्तियों की ओर बढ़ जाती हैं, लेकिन इन समयोजनों के कारण अधिक ऊर्जा खर्च होती है, संचार कम प्रभावी होता है, तथा तनाव बढ़ता है। प्रजनन और भोजन में व्यवधान शोर प्रजनन की सफलता में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करता है। अध्ययनों से पता

चलता है कि व्यस्त सड़कों या हवाई अड्डों के पास रहने वाले पक्षी कम अंडे देते हैं, तथा कई चूजे जीवित नहीं रह पाते। माता-पिता अपने बच्चों की भीख उन्हे कम खाना मिलता है। शोरगुल वाले क्षेत्रों में, पक्षियों को आने वाले शिकारियों की आवाज सुनने में भी कठिनाई होती है, जिससे वे भोजन खोजते या घोंसला बनाते समय अधिक असुरक्षित हो जाते

हैं। तनाव जो जीवन को छोटा कर देता है दीर्घकालिक शोर एक निरंतर अलार्म की तरह कार्य करता है। यह पक्षियों में तनाव हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। यहाँ तक कि जब भोजन और आश्रय उपलब्ध हो, तब भी लगातार शोर किसी क्षेत्र को रहने लायक नहीं बना सकता। परिणामस्वरूप, कई प्रजातियां अन्यथा उपयुक्त आवासों को त्याग देती हैं, जिससे स्थानीय जैव विविधता में गिरावट आती है। शहर ध्वनि जाल के रूप में शहरी वातावरण विशेष रूप से कठोर होता है। जबकि कुछ अनुकूलनशील पक्षी - जैसे कबूतर या कौवा - जीवित रहने का प्रबंधन करते हैं, कई संवेदनशील प्रजातियां गायब हो जाती हैं। हरित स्थान अपनी विविधता खो देते हैं।

और शहर धीरे-धीरे पक्षियों की आवाज के मामले में शांत हो जाते हैं, जबकि मानव शोर अधिक होता जाता है। यह क्षति केवल पारिस्थितिक नहीं है; यह लोगों को प्रकृति के साथ दैनिक संपर्क से वंचित कर देती है, जो मानसिक कल्याण का समर्थन करती है। यह हमारे लिए क्यों मायने रखता है पक्षी पर्यावरण स्वास्थ्य के सूचक हैं। जब वे पीड़ित होते हैं, तो यह गहरा पारिस्थितिक असंतुलन का संकेत देता है। इसके अलावा, पक्षी कीटों को नियंत्रित करने, पौधों का परागण करने और बीज फैलाने में मदद करते हैं। उनकी गिरावट कृषि, वनों और खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करती है - अंततः मानव जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

लाउडस्पीकर और हॉर्न बजाने पर सख्त सीमाएं, शांत सड़क सतहें, तथा आर्द्रभूमि और जंगलों के आसपास मौन क्षेत्रों की सुरक्षा से मदद मिल सकती है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे शांत - संगीत की मात्रा कम करना, शांत घंटों का सम्मान करना और सारे बफर्स को संरक्षित करना - पक्षियों को लड़ने का मौका दे सकते हैं। सुनने का आह्वान पक्षियों की पीड़ा एक चेतावनी है जिसे हम अभी भी सुन सकते हैं। शांत स्थानों को पुनर्स्थापित करना मानव प्रगति को चुप कराने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अन्य जीवित प्राणियों की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने के बारे में है। जब हम शोर को कम करते हैं, तो हम न केवल पक्षियों के गीत को बचाते हैं; बल्कि हम अपने लिए भी एक स्वस्थ, अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का दावा करते हैं।

संपादकीय

चिंतन-मगन



मासिक धर्म और सैनिटरी पैड: स्कूलों में गरिमा की परीक्षा

डॉ. प्रियंका सौरभ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और मासिक धर्म स्वच्छता को अनिवार्य करने संबंधी निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय समाज की उस सामूहिक सोच को आईना दिखाते हैं, जिसमें आज भी मासिक धर्म को संकोच, चुपप्पी और उपेक्षा के साथ देखा जाता है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि मासिक धर्म महज स्वास्थ्य या स्वच्छता का मुद्दा नहीं, बल्कि गरिमा, समानता और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न है।

भारत जैसे देश में, जहाँ संविधान समानता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है, वहाँ लाखों छात्राओं का मासिक धर्म के दौरान असुरक्षित और अपमानजनक परिस्थितियों में पढ़ाई करने को मजबूर होना व्यवस्था की गहरी विफलता को उजागर करता है। अदालत का यह हस्तक्षेप इसी विफलता को दूर करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यह याद दिलाता है कि अधिकार केवल कागज़ों में दर्ज घोषणाएँ नहीं होते, बल्कि उनका वास्तविक अर्थ तभी है, जब वे जमीनी हकीकत में दिखाई दें।

मासिक धर्म को लंबे समय तक केवल एक जैविक प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय या स्कूल प्रबंधन की सीमित जिम्मेदारी बनकर रह गया। सच्चाई यह है कि मासिक धर्म सामाजिक, शैक्षिक और मानसिक स्तर पर गहरे प्रभाव डालता है। स्वच्छता सुविधाओं और सही जानकारी के अभाव में छात्राओं को न केवल संक्रमण और बीमारियों का खतरा रहता है, बल्कि शर्म और भय के कारण वे नियमित रूप से स्कूल आने से भी कतराने लगती हैं। कई मामलों में यह स्थिति स्थायी स्कूल ड्रॉपआउट का कारण बन जाती है।

अनेक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि मासिक धर्म के दौरान उचित प्रबंधन की कमी के कारण बड़ी संख्या में किशोरियाँ हर महीने कई दिनों तक स्कूल नहीं जातीं। यह अनुपस्थिति धीरे-धीरे सीखने की प्रक्रिया को कमजोर करती है और अंततः शिक्षा से पूरी तरह कट जाने का जोखिम बढ़ा देती है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि



क्या हम वास्तव में "सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, या यह केवल नीतिगत दस्तावेजों तक सीमित नारा बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। जब स्कूलों में अलग और स्वच्छ शौचालय, साफ़ पानी, साबुन और सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, तो छात्राओं के लिए नियमित रूप से विद्यालय जाना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। यह स्थिति लैंगिक असमानता को और गहरा करती है, क्योंकि जहाँ लड़कों की शिक्षा बिना किसी जैविक बाधा के चलती रहती है, वहीं लड़कियों को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण पीछे धकेल दिया जाता है।

यह असमानता संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के विरुद्ध है, जो समानता और भेदभाव-रहित समाज की अवधारणा को आधार प्रदान करते हैं। केवल अवसर की समानता पर्याप्त नहीं होती, जब तक उस अवसर तक पहुँचने के साधन भी समान न हों। मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी करके हम अनजाने में ही लड़कियों को उस बचपन से वंचित कर देते हैं, जिसका वादा संविधान करता है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म से जुड़ी सुविधाओं का अभाव महिलाओं और किशोरियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। जब किसी छात्रा

को असुरक्षित और अवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने को मजबूर होना पड़े, तो यह केवल स्वस्थ संकेत नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा पर सीधा आघात है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन को केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं करता, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है।

यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उध धारणा को तोड़ता है कि सैनिटरी पैड या स्वच्छ शौचालय कोई "अतिरिक्त सुविधा" हैं। वास्तव में ये आवश्यक अधिकार हैं, जिनके बिना न तो स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है और न ही शिक्षा का अधिकार सार्थक हो सकता है। इस दृष्टि से अदालत का यह आदेश एक सामाजिक चेतावनी के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

हालाँकि भारत में न्यायिक आदेशों की सबसे बड़ी चुनौती उनके प्रभावी क्रियान्वयन में दिखाई देती है। कई बार नीतियाँ और दिशा-निर्देश घोषणाओं और फाइलों तक सीमित रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यह निर्णय केवल अदालती आदेश या कानूनी पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक असर स्कूलों और छात्राओं के जीवन में दिखाई देना चाहिए। सरकारी और निजी, शहरी और ग्रामीण—सभी स्कूलों में इन निर्देशों को समान रूप से लागू करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में निजी स्कूलों की भूमिका विशेष

रूप से महत्वपूर्ण है। अक्सर निजी शिक्षण संस्थान स्वयं को सरकारी योजनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व से अलग मान लेते हैं। अदालत का आदेश इस सोच को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और बताता है कि बच्चों के अधिकार के मामले में सरकारी और निजी का भेद स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि निजी स्कूल उच्च शुल्क वसूल सकते हैं, तो वे छात्राओं की बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य को जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि केवल आदेश और नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आता, तब तक ऐसी पहल अधूरी ही रहेगी। मासिक धर्म को लेकर फैली चुपप्पी, अंधविश्वास और शर्म की भावना इस समस्या को और जटिल बनाती है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन केवल पैड वितरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूकता, संवाद और वैज्ञानिक जासकरी को भी शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। लड़कों को भी इस चर्चा से अलग नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील और समान समाज की नींव तभी पड़ती है, जब समझ साझा होती है।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह आदेश केवल अनुपालन की बाध्यता नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। पर्याप्त बजट आवंटन, प्रभावी निगरानी तंत्र और डिजिटल माध्यमों बिना यह पहल सफल नहीं हो सकती। अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा यह स्पष्ट संकेत देती है कि इस मुद्दे को अब और टालना नहीं जा सकता।

अंततः यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन उसके सबसे कमजोर वर्ग के साथ किए गए व्यवहार से होता है। छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक सुविधाएँ देना कोई उपकार नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अब असली परीक्षा यह है कि यह निर्णय कागज़ों से निकलकर ज़मीन पर उतरता है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो यह न केवल स्कूलों की तत्वीर बदलेगा, बल्कि उस सोच को भी बदलने की दिशा में निर्णायक कदम होगा, जो अब तक मासिक धर्म को अधिकार नहीं, बल्कि बौझ समझती आई है।

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)

ज्ञान, स्क्रीन और संवेदना का संकट

डॉ. सत्यवान सौरभ

"ज्ञान बढ़ा पर भाव क्या, अब भी मन लाचार" — यह पंक्ति केवल एक दोहा नहीं, बल्कि इक्कीसवीं सदी के मनुष्य की सामूहिक आत्मस्वीकृति है। हमने जितना ज्ञान अर्जित किया है, उतना शायद मानव इतिहास के किसी भी कालखंड में नहीं किया गया। सूचनाएँ उंगलियों पर नाच रही हैं, दुनिया एक छोटे से स्क्रीन में सिमट आई है और विज्ञान ने जीवन को सुविधाओं की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है।

इसके बावजूद—या शायद इसी कारण—मनुष्य भीतर से पहले से अधिक असाहय, असंतुलित और बेचैन दिखाई देता है। आज का संकट ज्ञान के अभाव का नहीं, बल्कि विवेक, संवेदना और ठहराव के लुप्त होने का संकट है। स्क्रीन की चकाचौंध ने केवल हमारी आँखों को नहीं, हमारी चेतना को भी प्रभावित किया है। मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल माध्यमों ने सूचना को लोकतांत्रिक तो बनाया, पर सोच को गहराई नहीं दी। हम पहले से कहीं अधिक पढ़ते हैं, पर पहले से कहीं कम समझते हैं। हम देखते बहुत हैं, पर महसूस कम करते हैं। हर पल अपडेट रहना आज सचेत होने की पहचान बन गया है, लेकिन इसी निरंतर अपडेट ने मनुष्य को भीतर से थका और खाली कर दिया है। सोशल मीडिया पर विचार नहीं, प्रतिक्रियाएँ जन्म लेती हैं। वहाँ ठहराव नहीं, केवल तात्कालिक उत्तेजना है। सच और झूठ, गंभीरता और सतहीपन, संवेदना और सनसनी—सब एक ही मंच पर समान महत्व के साथ परोसे जा रहे हैं। ऐसे वातावरण में सतविचार, जो समय, मौन और आत्मसंवाद से उपजते हैं, धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं।

आज का मनुष्य ऐसे समय में जी रहा है जहाँ संवाद लगातार हो रहा है, पर संवादहीनता भी उतनी ही गहरी है। मोबाइल के कक्ष में आवाजें चिल्ला रही हैं—कॉल, मैसेज, वीडियो, मीटिंग्स, रील्स—हर ओर शोर है। लेकिन इसी शोर के बीच मनुष्य अपने ही भीतर की आवाज सुनने की क्षमता खो बैठा है। बाहर की बातचीत बढ़ी है, भीतर का संवाद घटा है। जब भीतर की खामोशी को सुना नहीं जाता, तो वह धीरे-धीरे कुंटा, आक्रोश और असंतुलन में



बदल जाती है। आज रिश्तों में बढ़ता तनाव, समाज में बढ़ती असहिष्णुता, ऑनलाइन अपमान और वास्तविक जीवन में बढ़ती असंवेदनशीलता—ये सब उसी अनसुनी खामोशी के लक्षण हैं। हम बोलना जानते हैं, पर सुनना भूल चुके हैं। न दूसरों की पीड़ा सुन पाते हैं, न अपने मन की बेचैनी को समझ पाते हैं। संवाद की यह विफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी है। जब समाज सुनना छोड़ देता है, तो असहमति शत्रुता में बदल जाती है और विचार विमर्श के स्थान पर टकराव जन्म लेता है।

विज्ञान ने निरसंदेह मानव जीवन को अभूतपूर्व सुविधाएँ दी हैं। रोगों पर नियंत्रण, संचार की गति, यात्रा की सरलता और उत्पादन की क्षमता—इन सब क्षेत्रों में विज्ञान ने क्रांति की है। लेकिन इसी विज्ञान से यह अपेक्षा भी जुड़ी थी कि वह मनुष्य को अधिक संतुलित, अधिक संवेदनशील और अधिक जिम्मेदार बनाएगा। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ। विज्ञान ने हमें शक्ति दी, पर संयम नहीं सिखाया। गति दी, पर विराम नहीं। साधन दिए, पर मर्यादा नहीं। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तकनीक हमें आगे बढ़ने के अस्थिर रास्ते दिखाती है, पर यह नहीं बताती कि कब रुकना है। यह निर्णय स्कूलों और अधिकारियों का विकास मशीनों से नहीं, मानवीय मूल्यों से होता है। हमने ज्ञान को केवल संग्रहण तक सीमित कर दिया है। डिग्रियाँ बढ़ीं, पर दृष्टि संकुचित होती गई। विशेषज्ञता बढ़ी, पर समग्र समझ घटती चली गई। आज का शिक्षित व्यक्ति भीड़ में शामिल होने में तेज


है, पर अकेले खड़े होकर सच बोलने में हिचकता है। यह शिक्षा का नहीं, सूचना के बौद्ध का परिणाम है। ज्ञान जब संवेदना से कट जाता है, तो वह अहंकार बन जाता है। तकनीक जब विवेक से कट जाती है, तो वह नियंत्रण के बजाय वर्चस्व का साधन बन जाती है। इस स्थिति का समाधान तकनीक को नकारने में नहीं, बल्कि उसे मानवीय मूल्यों के अधीन रखने में है। स्क्रीन से भागना संभव नहीं, पर उसके सामने नतमस्तक होना भी अनिवार्य नहीं। हमें फिर से मौन का महत्व समझना होगा। हमें संवाद को केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं, सुनने की कला बनाना होगा। ज्ञान को आत्मचिंतन से जोड़ना होगा और विज्ञान को नैतिकता के साथ संतुलित करना होगा। परिवार, शिक्षा और समाज—तीनों स्तरों पर यह पुनर्संरचना आवश्यक है। बच्चों को केवल स्मार्ट नहीं, संवेदनशील बनाना होगा। शिक्षा को केवल प्रतियस्धा का मैदान नहीं, बल्कि मानवीय विकास का माध्यम बनाना होगा। समाज को यह विकार करना होगा कि गति के साथ ठहराव भी उतना ही आवश्यक है।

आज आवश्यकता किसी नए आविष्कार की नहीं, बल्कि पुरानी मानवीय समझ की पुनर्स्थापना की है। तकनीक हमारे जीवन का साधन बने, लक्ष्य नहीं। संवाद शोर नहीं, संतुलन है। और ज्ञान केवल बढ़ने नहीं, मनुष्य को बेहतर बनाए। यदि हम यह संतुलन नहीं बना पाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ शायद अत्यंत उन्नत होंगी—पर भीतर से और भी अधिक लाचार। (डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक चिंतक हैं।)

मीर तकी मीर: दर्द को शायरी बनाने वाला शायर

सुनील कुमार महला

3 फरवरी को साहित्यकार, उर्दू साहित्य के महानतम शायर मीर तकी मीर (1723-1810) का जन्मदिन मनाया जाता है। मीर तकी मीर सिर्फ ग़ज़ल के शायर नहीं थे, वे अपने समय की टूटी हुई रूह की आवाज थे। मीर उर्दू ग़ज़ल को शिखर तक पहुँचाने वाले बड़े कवि थे। पाठकों को बताता चर्चु कि उर्दू 'खुदा-ए-सुखन' यानी कि शायरी का खुदा/भगवान कहा जाता है। उनकी शायरी में दर्द, मोहब्बत, तन्हाई और मानवीय संवेदना गहराई से झलकती है। उर्दू ही नहीं फ़ारसी भाषा पर भी उनकी मजबूत पकड़ थी। मीर को उर्दू के उस प्रचलन के लिए याद किया जाता है जिसमें फ़ारसी और हिन्दुस्तानी के शब्दों का अच्छा मिश्रण और सामंजस्य हो। विकीपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका जन्म आगरा में तथा मृत्यु लखनऊ में हुई। मीर तकी मीर को उर्दू में शेर कहने का प्रोत्साहन अमरोहा के सैयद सादत अली ने दिया। पाठकों को बताता चर्चु कि उनका मूल नाम मोहम्मद तकी था। उनका प्रमुख कृतियों की यह हिम यहाँ पर बात करें तो इनमें क्रमशः जिक्र-ए-मीर (आत्मकथा), कुल्लियते-मीर (उर्दू रचनाओं के छह दीवानों का संग्रह), कुल्लियते-फ़ारसी (फ़ारसी रचनाओं का संग्रह), फ़ैज़-ए-मीर (पाँच कहानियों का संग्रह), तुकट-उस-



शूरा (फ़ारसी ज़बान में लिखी तत्कालीन उर्दू रचनाकारों की जीवनीयाँ) आदि को शामिल किया जाता है। वैसे, वे 'दर्द के शायर' कहलाते हैं। दरअसल, मीर की ज़िंदगी मुफ़्तिसी (गरीबी), अपनों को खोने के गम और दिल्ली की बन्दादी को देखने में गुज़री। यही वजह है कि उनकी शायरी में 'हुक' और 'टीस' महसूस होती है। उन्होंने खुद एकबार यह कहा था-'मुझको शायर न कहे मीर कि सहाब मैंने, कितने गम जमा किए तो दीवान किया।' कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के उजड़ने, पारवार की मौतों, गरीबी

और बेघर होने ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। उनकी शायरी दरअसल आत्मकथा की पंक्तियाँ हैं। उनकी यह पंक्ति देखिए-'पत्थर की भीत क्या करूँ, आँसू जो ढल गए।' पाठकों को बताता चर्चु कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों के बाद दिल्ली उजड़ चुकी थी। मीर ने दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाना तो स्वीकार किया, लेकिन वे वहाँ दिल से कभी बस नहीं पाए। मीर की सबसे बड़ी इन्सानी उम्र थी। वास्तव में, वे बहुत ही आसान शब्दों में दिल की गहरी बात कह देते थे। इसे तकनीकी भाषा में 'सहल-ए-मुमतल'

कहा जाता है-यानी ऐसी चीज़ जो देखने में आसान लगे, पर उसे दोबारा लिखना नामुमकिन हो। महान शायर मिर्ज़ा ग़ालिब भी उनके कायल थे। सच तो यह है कि ग़ालिब ने मीर को अपना उस्ताद माना। ग़ालिब जैसे आत्मविश्वासी शायर ने कहा-'रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो ग़ालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था।' वास्तव में यह मीर की श्रेष्ठता की सबसे बड़ी गवाही है। मोहब्बत की कैफ़ियत को बर्ण करते हुए उन्होंने कहा था-'इब्तिदा-ए-इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या।' हस्ती अपनी

हबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है।' 'नाजुकी उसके लव की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है।' 'मीर उन नीम-बाज आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है।' उनकी मुस्कान पर पंक्तियों में से एक है। आत्मस्वीकृति के बारे में एक बार उन्होंने कहा था-'शायर मुझमें और भी हैं, पर मीर का मुक़ाबला कौन करे।' अंत में यही कहूँगा कि मीर सिर्फ उर्दू ग़ज़ल के शायर ही नहीं, बल्कि अपने समय के टूटे हुए समाज, उजड़ती दिल्ली और बिखरते इंसान के तुम ही उस्ताद हैं। अपने जीवन में निजी दुख, मानसिक पीड़ा, गरीबी और उपेक्षा के बावजूद मीर ने उर्दू और फ़ारसी भाषा को आम आदमी के दिल तक पहुँचाया और ग़ज़ल को आत्मा की आवाज़ बना दिया। उनका दर्द रचना है। अन्य शायरों की तरह वे कभी शोर नहीं करते, बल्कि रचनाओं में फुसफुसाते हैं और उनकी वही फुसफुसाहट रक्तियों बाद भी पाठकों के दिल में उतर जाती है। इसलिए मीर को पढ़ना सिर्फ साहित्य का अनुभव नहीं, बल्कि इंसान को भाषा का अनुभव है।

सुनील कुमार महला, फ़्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़,



बजट 2026
संसद भवन में कर बजट 2026 की गरिमायु प्रस्तुति, आ. सीतारामण जी ने बताई आगामी विकास की युवित, विकसित हो भारत सक्षम हो भारत पर दिया गया जोर, पर 2026 का बजट जनता की नजरों में रहा कमजोर। सभी राज्यों की अपेक्षाएं और उम्मीदें थी थोड़ी ज्यादा, किंतु बजट आया विकास को वेग देता हुआ कुछ सादा, वित्त मंत्री की बजट घोषणा से विपक्ष भी हुआ मारुस, सरकार ने एक-एक कर खून पसीना सब लिया है चूस। बजट ने समग्र भारत के विकास की ओर दौड़ाई नजरें, आई कुछ मन को भी संतोष देने वाली आनंद खबरें,

सैन्य शक्ति को किया गया और भी अधिक बलशाली, देश होगा और भी अधिक आत्मनिर्भर बढ़ेगी खुशहाली। सस्ते हुए खेल कूद के सामान, कपड़े, लेदर आइटम्स, विमान के कंपोनेंट्स, सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट्स, बनेंगे सात हाई स्पीड रेल कारिडोर सेवाएँ होंगी सुलभ, पर्यटन व परिहटन से आर्थिक विकास होगा सौरभ। ये बजट बनेगा भविष्य की समृद्धि का उपयोगी माध्यम, सबका साथ समग्र विकास पुरानी योजनाएँ रहेगी क्रायम, दृढ़ संकल्प से सर्वत्र होगी देश में खुशियों की हरियाली, होगा भारत विश्व पर और भी अधिक शक्तिशाली। - मोनिका डागा "आनंद"

